THE UNTOUCHABILITY (OFFENCES) AMENDMENT AND MISCELLANE-**OUS PROVISION BILL, 1976**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DE-PARTMENT CfF PERSONNEL AND AD-MINISTRATIVE REFORMS AND DE-PARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI OM MEHTA) : Sir, I beg to move .

"That the Bill to amend the Untouchability (Offences) Act, 1955 and further to amend the Representation of the People taken into consideration."

1955 was passed in pursuance of Article 17 of imprisonment will be awarded the Constitution which has abolished untouchability offences. For the first offence 'untouchability' and has made its practice in the minimum punishment will be one month's any form punishable by law. The Act has been in force for more than 20 years. A Committee was appointed under the Chairmanship of Shri Elayaperumal to go into the working of the Act and on the basis of the recommendations of that Committee, a Bill was introduced in the Lok Sabha in April, 1972.

The Bill was referred to a Joint Committee of the two Houses. The Joint Committee went thoroughly into the various aspects and made many far-reaching changes. The Bill as reported by the Joint Committee has been passed by the Lok Sabha with a few amendments.

The name of the principal Act is being changed to 'the Protection of Civil Rights Act.' So, in future, the name of the Act will be the Protection of Civil Rights Act instead of the Untouchability (Offences) Act.

The present amending Bill considerably tightens the provisions relating to the removal of untouchability. Privately owned places of worship along with lands and subsidiary curbing the commision of untouchability shrines appurtenant to such privately owned offences. The Bill also contemplates surveys places of worship which are allowed by the and studies for determining the areas where owner to be used as places of public worship untouchability is practised, the setting up of are being brought within the purview of the Committees for implementing the Act. The direct or in-

Amdt. and Misc. Provision 64 Bill, 1976

direct preaching of untouchability or its justification on historical, philosophical or religious ground is being made an offence. The compelling of any person to do any scavenging, sweeping removing of carcasses, flaying of animals or removing the umbili cal cord is also being made punishable. The State Governments are being empowe red to impose collective fines on the inha bitants of any area who are concerned in or abetting the commission of untoucha bility offences. All untouchability offences are cognizable. They will now become non-compundable and in Act, 1951, as passed by the Lok Sabha, be cases where the punishment does not exceed three months, they can be tried summarily. The punishment of untouchability offences is being Sir. the Untouchability (Offences) Act. considerably enhanced and now both fine and for imprisonment and a fine of Rs. 100 and the maximum six months* imprisonment and a fine of Rs. 500. For the second offence, the minimum punishment is six months' imprisonment and a fine of Rs. 200 and the maximum, one year's imprisonment and Rs. 500 fine. For the third and subsequent offences, the punishment can range from one years' imprisonment with Rs. 500 fine to two years' imprisonment with Rs. 1,000 fine.

> The significant characteristic of the present Bill is that public servants who wilfully neglect in the investigation of any offence punishable under this Act shall be deemed to have abetted an offence punishable under this Act. Persons convicted of untouchability offences shall be disqualified from contesting elections to Central and State Legislatures. The Probation of Offenders Act will not supply to untouchability offenders unless they are below the age of 14 years.

Thus the Bill will have a diterrent effect in

/vet and the grant of adequate facilities to persons subjected to disabilities arising out of मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। समर्थन करते untouchability to enable them to avail of their हुए मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता

Government is making every endeavour to हूँ कि इस बिल पर अमल करने की क्या सूरत uplift the Scheduled Castes and to ensure that हो सकती है और उसके लिये कैसे गारन्टी की the last vestiges of untouchability are जा सकती है। अछूत अपराध कानून को कितना completely eradicated from the country within भी सख्त बना दिया जाय, लेकिन उस पर अमल the .shortest possible time. Under the 20-point programme of the Prime Minister, various करने की जो मयीनरी है वह मुख्य तौर से मौजूदा measures are being taken for the economic पुलिस प्रयासन पर निभर करती है। यह देखा uplift of these down-trodden sections of the जाता है कि मौजदा पुलिस प्रजासन में ज्यादातर society. Most of them are agricultural labourers आफ्रीसर्स ऐसे हैं जो कि उच्च वर्ग से आये हैं, and petty artisans and for them, special mea-sures for the grant of house-sites, agricultural नामन्ती वर्ग से झाये है। या हरिजनों पर जो lands, loans for settlement in trades, fixation of जुल्म करने बाले लोग है, समाज में उनके बसर minimum wages and abolition of bonded labour में रहने वाले लोग हैं, इन्हीं के द्वारा हरिजनों are being undertaken so that their economic and पर जुल्म होता है। हरिजनों को पुलिस के पास social conditions improve and they are better able to assert their rights. The massive education programme for the Scheduled Castes करके जाता भी है तो वहां उसको न्याय नहीं both at the school stage as well as at the post- मिलता है, पुलिस का संरक्षण नहीं मिलता है। matric stage also helps them in improving their इसीलिये माननीय मंत्री जी ने अपने ब्यान में जिन्न social and educational standards. The great किया है कि जब कि माज 20 सून्नी कार्यक्रम strides achieved in filling posts in the country's को लागू करने का प्रोग्राम देश के सामने हैं और contributed to raising the status of this उस पर ग्रमल करने के लिये कदम उठाया जा community and also to giving them adequate रहा है, तो इमसे हरिजनों में वेशक एक उत्साह strength to assert their rights. All these, together आया है, उनमें एक उभार आया है, अपने हक with the legal protection provided under the के लिये खड़े होने की शक्ति आज वह महसूस कर present Bill, will help in the complete eradication of this evil practice.

With these words, Sir, I commend the Bill for the consideration of the House.

The question was proposed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI LOKA-NATH MISRA) : Now, there are 12 speakers in all. Therefore, under compulsion the Chair will have to restrict each speaker to 10 minutes and देखकर, उसकी जागृति को देखकर बौखलाये हुए not a minute beyond ten. So, in all we will take हैं जैसे उनके कलेजे पर सांप लोट रहे हों । ऐसां two hours for the speakers and 15 minutes for सुरत में महाजनों, जमींदारों की स्रोर से हरिजनों the reply of the hon. Minister so that by 5-15 punctually we finish this Bill and take up the other Bill. We must go according to the गारन्टी नहीं दी जाती कि पुलिस का उनको schedule. There will not be the slightest संरक्षण दिया जायगा, अछूतों पर, हरिजनों पर departure from the schedule. Mr. Bhola Prasad. जो जल्म करने वाले हैं उनके खिलाफ कार्यवाही 28 RSS/76-3

Aincit. and Misc. Provision 66 Rill 1976

श्री भोला प्रसाद (बिहार) : उपाध्यक्ष महोदय,

रहे हैं। लेकिन जहां पर एक तरफ गांव के गरीब खेत मजदूर जिनमें ज्यदातर हरिजन वर्ग से आते हैं उनमें उत्साह है, उमार है हक हासिल करने की तरफ ग्रौर इस राष्ट्रीय कार्यकम को अमल में लाने की तरफ, तो दसरीं तरफ गांव के जो जमीदार हैं, भू-स्वामी हैं उनमें उतनी ही बोखलाहट है। झाज वह हरिजनों के उभार को के ऊपर हमले बढ़ रहे हैं। जब तक उनको यह की जायगी, तब तक वह आज भी अपने इन्सानी हकुक झौर झधिकारों को प्राप्त नहीं कर सकते उनके साथ तब तक न्याय नहीं होगा जब तक झाप यह न कर दें कि ऐसे अफसरों के खिलाफ सख्ती

Amdt. and Misc. Provision 68 Bill 1976

से पानी लेने के लिय जाना पड़ता है, खासतौर से उस वक्त जब कि हरिजन सौर गरीब लोग ग्रपने हक के लिये उठ रहे हैं। उनमें उत्साह साया है इसलिये अपना सिर उठा कर चलना चाहते हैं। ऐसी सूरत में जब कि गांवों के भू-स्वामी. धनी वर्ग बौखलाए 🕫 हैं उनके लिय वहां से पानी लाना मण्किल हो गया है। हम ग्राये दिन देखते हैं कि जब भी वे वहां से पानी लेने जाते हैं तो उन्हें एकदम रोक दिया जाता है। उनसे कहा जाता है कि तुम हमारे कुछों पर पानी पीने के लिये मत झाछो । ऐसी बहुत सी मिसालें हैं। इसलिये हम यह ग्रजं करना चाहते हैं कि सरकार इस बात की गारंटी दे कि जल्दी से जल्दी हरिजन बस्ती में पीने के पानी की व्यवस्था हो जाएगी। हम चाहते हैं कि दूसरे कार्यकर्मों के साथ इस कार्यक्रम को भी झामिल कर लिया जाये। इसको लम्बा न खींचा जाये। सरकार को इस बात की गांरटी देनी चाहिये कि यह काम कुछ महीने के ग्रंदर-ग्रंदर हो जायगा।

इसी तरह से हरिजनों के ग्रावास का सवाल है। यह सही है कि 20 सूत्री कार्यकर्मों के जरिये उनको घर के लिये जमीन देने की व्यवस्था की गई है। पहले भी ऐसा कानून बना था। 1948 में शायद यह कानून बना था कि जो हरिजन या गरीब किसी जमीन पर बसा हम्रा है उसको बहीं पर बसने का अधिकार होगा। उसको वहां से हटाया नहीं जा सकता है । लेकिन ग्रसलियत यह है कि 20-25 वर्ष बीत गये उस कानन पर ग्रभी तक ग्रमल नहीं हुआ। है। जहां कहीं भी यह सवाल पैदा हुआ वहीं पर से हरिजनों और गरीवों को, जो दसरों की जमीनों पर बस गये थे, उनको निकाला गया। पिछले वर्षों से जब से हरिजनों की आरेर से, गरीबों और खेत मजदरों की झोर से देशव्यापी झान्दोलन छेडा गया तब से यह भी एक बडा सवाल बन कर देश के सामने ग्राया और उसके बाद से अमल भी होना शुरू हम्रा। हम अपने राज्य में देखते हैं कि 1969 से लेकर जुन 1976 तक सब मिलाकर 7 लाख मजदूरों को बावास की जमीन पर ब्रधिकार दिया गया है लेकिन अभी भी कई मजदर, हरिजन ऐसे हैं जिन्हें इस ब्रावास की जमीन पर ब्रधिकार

67 Untouchability (offences) [RAJYASABHA]

[श्री भोला प्रसाद]

से कार्यवाही की जायगी, न केवल उनका ट्रांसफर किया जायगा, जरूरत पड़ने पर, बल्कि उनको सब्त सजा भी दी जायगी जिससे वह समझें कि आज हरिजनों के हक में जो कानन हैं, जो 20 सूत्री कार्यक्रम को अमल में लाने के लिय गरीबों के लिए जो कानून हैं उन पर मुस्तैवी से ग्रमल नहीं करते हैं और उसके विपरीत जो शोषक वर्ग, हैं, जभींदार हैं सामन्ती भू-स्वामी हैं ग्रौर जो जुल्म करने वाले हैं, ग्रगर उनका पक्ष लेते हैं, उनका साथ देते हैं तो हम भी सजा के मुक्तभोगी होंगें और हमें सख्त से सख्त सजा मिलेगी । जब तक यह इंप्रेशन आज के प्रशासन में जो अफसर हैं, खास तौर पर पुलिस अफसर उनमें नहीं होगा तब तक न्याय उनके साथ नहीं होगा। झाज तो इमरजेंसी में किसी का बहुत ज्यादा मान बढ़ गया है, और वह ज्यादा और भी करप्शन के शिकार हुए हैं, तो वह पुलिस का विभाग है। इसलिए हम सरकार से अर्ज करना चाहते हैं कि इस पर अलम करने के लिए ग्राप गारन्टी करें झौर इसके लिए पुलिस असफर जो इस पर अमल नहीं करते हैं,जो हरिजनों को संरक्षण नहीं देते हैं, जो 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू करने के लिये खेत मजदरो, हरिजनों और गरीबों को ग्रधिकार दिलाने में उनका साथ नहीं देते हैं, उनके ऊपर सख्ती से कार्यवाही होगी।

साथ ही साथ सरकार दूसरी ऐसी भी 3 P.M. मणीनरी कायम करें जिसके बाद अगर पुलिस नहीं सुनती है, न्याय नहीं मिलता है तो वह हरिजन या गरीब अपनी मुश्किलें रख सके और उसके जरिये वह न्याय पा सके ।

दूसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि हरिजनों पर जुल्म बंद होना चाहिये । उनके ऊपर जो अत्याचार होता है वह बंद होना चाहिये । इसके लिये जरूरी है कि एक इंसान के जीने के लिये जिन जरूरी चीजों की आवश्यकता होती है, वे जरूरी चीजों उन्हें मिलें। इसकी व्यवस्था आपको करनी चाहिये । मिसाल के लिय पीने के पानी का सवाल है । हम गांवों-गांवों में देखते हैं कि खेत मजदूरों और हरिजनों के लिये ग्रमी तक प्रपने कुएं नहीं बन सके हैं। उनके पीने के पानी के लिये जोई व्यवस्था नहीं है अलग से, इसलिये उनको सावंजनिक कुग्रों पर या जो ऊंचें वर्ग के लोग हैं उनके कुग्रों

नहीं मिला है जिस जमीन पर वे बसे हए हैं। असलियत यह है कि जिस जमीन पर वे रह रहे हैं वह थोडी जमीन है झौर उसके अपने परिवार में वह खुद है, बेटा है, बेटी है, पतोह है, मां-बहनें हैं। क्योंकि परिवार बहत बड़ा है और बाहर कहीं जा नहीं सकते इसलिए उनको वहीं पर गुजारा करना पडता है। जिस प्रकार की जिन्दगी हरिजन लोग गांवों में व्यतीत कर रहे हैं उसको इंसान की जिन्दगी नहीं कहा ज। सकता है । हमारे बिहार के ग्रन्दर जिसको सुग्रर का पखारा कहते हैं उस प्रकार की जिन्दगी हरिजन लोग व्यतीत कर रहे हैं। उनके रहने के लिए ठीक व्यवस्था नहीं है। उनके परिवार बहत ही बुरी हालत में अपनी जिन्दगी बिताते हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि उन लोगों को जमीन दी जाय। जब तक उनको चतिरिक्त जमीन नहीं दी जाएगी तब तक उनकी हालत में सुधार नहीं हो सकता है। इस बारे में पिछले दिनों जब हिसाब लगाया गया तो पता चला कि जन के महीने तक 65 लाख लोगों को बसने की जमीन दी जा चुकी है। बिहार में जिन लोगों को जमीन दी गई उनकी संख्या 7 लाख है झीर सारे देश में जिन लोगों को वास की जमीन दी गई है उनको संख्या 65 लाख बताई जाती है। इसमें पूराने और नये सभी लोग शामिल हैं। मैं समझता हं कि अभी भी बहत बड़े पैमाने पर लोगों को वास की जमीन देने की आवज्यकता है। जिन लोगों के परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ गई है उनको अतिरिक्त जमीन देने की आवश्यकता है। अभी स्थिति यह है कि पहले तो काफी दिनों तक हरिजनों के लिए जमीन सेंक्शन ही नहीं की जाती है और जब सेंक्शन होती भी है तो दूसरे गांव या प्रखण्ड में उनको जमीन दे दी जाती है। वहां पर वे लोग बस नहीं सकते हैं। मुझे मालूम है कि हरिजनों को इस तरह की जमीन झलाट की गई है जिसमें वे लोग बस नहीं सकते हैं । इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि उन लोगों को ऐसी भूमि अलाट की जाय जहां पर वे लोग आसानी से बस सकें ग्रीर अपनी जिन्दगी ठीक प्रकार से बसर कर सकें।

Amdt. and Misc. Provision, 70 Bill, 1976

इसके साथ-साथ मैं बंधवा मजदरों की बात भी कहना चाहता हं क्योंकि इनमें ज्यादातर लोग हरिजन होते हैं। कहा जाता है कि पूरे देश में 58 हजार 4 सौ बंचुवा मजदूरों को मुक्त किया गया है। लेकिन मैं समझता हं कि इनकी संख्या ग्रीर भी बड़े पैमाने पर है। हमारी बिहार की सरकार तो कहती है कि उनके यहां सिर्फ पलामू जिले के कुछ प्रखंडों को छोड़कर ग्रौर कहीं भी बंधुवा मजदर नहीं हैं। यद्यपि इस संबंध में केन्द्रीय कानून बना हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को ही बंधवा मजदर माना जाता है। जो भी बंधवा मजदर हैं उनमें ज्यादातर किसी न किसी रूप में हरिजन हैं। उनकी मुक्ति के लिए जब तक कोई ठोस व्यवस्था नहीं की जाती है जब तक उनका उद्धार नहीं हो सकता है। इसलिए माज आवश्यकता इस बात की है उनके लिए कर्ज देने जल्द से जल्द कोई ठोस योजना बनाई जाये। इसलिये मैं ग्रजं करना चाहता हं कि जो भी एक्ट ग्राप बनाये या उनके लिए प्रणासनिक व्यवस्था करें, जब तक ग्राप उन पर ठीक प्रकार से ग्रमल नहीं करेंगे तब तक हरिजनों की हालत में सुधार नहीं हो सकता है। सिर्फ कानून बनाने से काम नहीं चलेगा बल्कि हरिजनों की भलाई के लिए हमें जल्द से जल्द ठोस कदम उठाने चाहिए।

SHRI YOGENDRA MAKWANA (Gujarat) : Mr. Vice-Chairman, Sir...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI LOKA-NATH MISRA) : Kindly be brief.

SHRI YOGENDRA MAKWANA : Sir, I will confine myself only to the Bill, I will not go into all the other details.

Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to support and welcome this Bill introduced by the Home Minister. I congratulate the Home Minister for introducing such a revolutionary Bill. As I described it, it is really a revolutionary Bill in a way, because it has so many provisions which enable an untouchable to get those persons prosecuted who observe untouchability and it also enables him to protect himself against [Shri Yogendia Makwana] the possibilities arising out of untoucha-bility.

Sir, first of all, I will like to refer to the title of the Bill. The title is changed and instead of "practising of untouchabi-lity", the words "preaching and practising of untouchability" have been used. Sir, those words look very simple, but they have a great effect. The word "preaching" is inserted before the word "practising".

The practice of untouchability was an offence in the principal Act. Now, preaching of untouchability also becomes an offence under this Bill. In the previous session and before that also, I have often remarked in this House against the religious heads of this country. Sometimes they make derogatory remarks against the Scheduled Castes. Sometimes they have preached untouchability. With thfc' insertion of these words, Shankracharya of Puri and Doongri Maharaj or any other religious heads who were plreaching untouchability will not be able to do it. They can be prosecuted under the present law. Sir, in sub-section (1) of section 1, the words "the Untouchability (Offences) Act" have been substituted by the words "the Protection of Civil Rights Act". This is also an important change in the principal Act because the civil rights of the so-called untouchables were not honoured by some of the people of this country. I do not mean all the people of this country. But some people who are orthodox and reactionary have been always attacking the untouchables.

Sir, another salient feature of the Bill is to be found in section 3(iii) of the Bill. Whereas the minimum punishment was fixed for one month or fine under the principal Act, the word "or" has been substituted by the words "and also" in the new Bill. This is a very significant change because fine has also to be paid over and above the punishment of imprisonment. It will become a sort of deterrent to those who are observing untouchability. As 1 have said in the beginning, mostly the religious heads are responsible for untouchability. As the change in the title is an

important thing, so also Explanation II after Explanation I in section 7 is a very important explanation. It reads like ibis :

"Explanation 11.—For the purposes of clause (c), a person shall be deemed to incite or encourage the practice of "untouchability"—

(i) if he, directly or indirectly, preaches untouchability or its practice in any form; or

(ii) if he justifies, whether on historical, philosophical or religious grounds or on the ground of any tradition of the caste system or on any other ground, the practice of "untouchability" in any form."

Sir, these words are very important because all the religious heads have been describing untouchability as a part of religion as it is given in the religious books and sometimes they give some historical background to it. In the present day and in the present society, that background has been lost. Nowadays, the accepted principle is that every human being is equal. It has become an accepted universal principle. Therefore, such outdated discourses by the religious leaders should be banned.

Sir, there is also a provision under section 7(a) which gives &n opportunity for untouchables to perform other occupations. In small villages, even the educated persons were asked to take the night soil on their head and to scavenge the streets. Sir, with this insertion of section 7(a), there is a ban on it. So, it will be a very good provision in the principal Act. Then, Sir, there is an insertion of an explanation at the end of See tion 10. This is a most important explanation which is now inserted in the principal Act. It reads cut like this : "A public servant who wilfully neglects the investigation of any offence punishable under this Act shall be deemed to have abetted an offence punishable under this Act."

Sir, in most of the cases of atrocities, we have seen that the public servants have

neglected their duty at the time of investi- attention of the House to the report of the gation. Even the HRs are changed at many places, and the public servants, specially the Scheduled Tribes. This is the latest report for police officers, instead of investigating and the year 1973-74 in which he has mentioned prosecuting the offender, help the criminals. about recruitment to the Central Government And the history shows that even one person services and other services in different States. was not punished during these 25 years. Now, I will not read the figures because they are Sir, with the addition of this explanation to very negligible. But 1 will read the remarks of the principal Act, I hope, there will be a good the Commissioner. He says : 'The figures in check on the police officers who will try to this Table reveal that the representation of play mischief and evade their responsibility. I Scheduled Castes in these services is still far (Time bell rings) I will complete within a few from satisfactory. The position regarding minutes, Sir, Sir, I described this Bill as Scheduled Tribes is much worse.' Sir, these revolutionary and I must justify why I called are the remarks made by the Com-missioner it a revolutionary Bill, and I congratulate the for Scheduled Castes and Scheduled Home Minister. He should also recommend to Tribes. Why are these remarks give me some more minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI LOKA- ruiting officers who sit in the committees NATH MISRA): All of us should be precise t do not like and do not observe the provisions and concise also.

SHRI YOGENDRA MAXWANA: Sir, this where some rules Bill is really a very good Bill. Sir, so many i framed. But they have recruited their sons provisions are included here and I cannot go and daughters and their retatives only and the into details. As you say, Sir, the time is percentage of recruitment of the Scheduled limited I will throw some light on some of the Castes and the Scheduled Tribes is not general aspects of the Bill. There was a very maintained. It is not only negligible but in good provision suggested by the Joint Select some cases it is not at all there. No Scheduled Committee under Explanation 2, after Section Caste man is taken in the Delhi 10, which is now deleted. I do not know why Administration authority. it is deleted. The Explanation reads like this : "Any appointing authority, in relation to any service or post in connection with the affairs I have also had occasions, as a political leader of, fa) the Union or any State Government, (b) of my district, to suffer so many attacks by the corporation or undertaking, owned or high caste Hindus in the course of elections controlled by the Central Government or the and at several other times too. In the course of State Government or by both, (c) any elections the [farijans became the victims authority or body established by any Central, particularly because they favour the State or provincial Act, (d) any local Government or some party, especially the authority, who show any negligence in giving Congress Party which works for the effect to the orders of the appropriate upliftment of the Harijans and downtrodden authority relating to the reservation of posts people. That is why the Harijans who support for the employment of the members of the the Congress Party in the interior parts are Scheduled Castes shall be deemed to have attacked. Several times in this House also. Sir. abetted an offence punishable under this Act." if you remember, the Prime Minister herself Sir, I would request the hon. Minister to has given two examples of my own State and accept this Explanation even now at this of my own district. Th the course of the last stage. I would like to invite his attention and elections, in a Christian locality in n village in the

Amdt. and Misc. Provision 74 Bill. 1976

Commissioner for Scheduled Castes and

there? It is only because the bureaucrats.

I the Government officers, who are the rec-

relating to reservations. Recently, Sir, we had an occasion to examine the Delhi authority are

Sir, I appreciate this Bill very much because Kaira District the houses of a laree number of Christians, who voted for

[Shri Yogendra Makwana.] the Congress, were put on fire and several families were hurnt

(Time Bell rings)

In the case of election of my wife we were attacked at so many places and we were not ऐसा होने पर ही हम अस्पृष्यता के विष से मुक्ति allowed to enter five villages and we lost the un unit election only because of these things. Therefore. I say that this Bill is a revolutionary Bill and I heartily congratulate the Home लयों में दस परसेंट लेते हैं, लेकिन कोई प्राता Minister and the Prime Minister for introducing this Bill. It will be a red letter day in the history of India when it becomes an Act. With these नाकि वह छात्रालयों में प्रायें। words, Sir, I end my speech.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (उत्तर प्रदेश) : उपसभा-पति जी, सौभाग्य से मेरा जीवन ऐसे संगठन से सम्बन्धित रहा है जो छुन्नाछत, जाति-पांति, ऊंच-नीच की भावनाओं से संधर्ष करता आया है और इसीलिए जब सरकार इस प्रकार का विधेयक लाई है तो मुझे उस पर संतोप भी होता है और इसके लिए प्रसन्नता भी व्यक्त करना चाहता हूं। परन्तु साथ ही साथ मैं कुछ विरोधाभास भी देख रहा हं। एक क्रोर तो सरकार अस्पच्यता निवारण करने के लिए विधेयक लाई ग्रीर दसरी और कुछ इस प्रकार की सुविधाएं दे रही है जिससे बस्पभ्यता को झौर बल मिले ऊदाहरण के लिए मैं कहना चाहगा कि पहले कहा गया था कि हरिजनों के लिए पूथक छात्नावासों की स्थापना की जा रही है। मेरा कहना यह है कि पथक छावावास हरिजनों के लिए बनःये जायेंगे तो यह अस्पृष्यता का भाव समाज के ग्रन्दर बराबर बना रहेगा। हमारा कहना यह है कि छात्रावास सबके लिए एक साथ होना चाहिए। उसमें हरिजन का छाल भी रहे, सवर्णका छाल भी रहे। ग्रगर इस तरह से छात्रावास पथक-पथक कर देंगे तो अस्पुच्यता ग्रौर छुग्राछुत की भावना जो हम मिटाना चाहते है और जिसके लिए दंड देने की व्यवस्था इस विघेयक के माघ्यम से हम कर रहे है वह मिट नहीं पायेगी। मैं चाहता यह हं कि इस बात पर गंभीरता से सोचा जाये झौर इस प्रकार से अलग छात्रावासों की व्यवस्था हरिजनों के लिये न हो ? उनके लिये व्यवस्था ग्रवश्य हो.

Amdt. and Misc. Provision 76 Bill. 1976

लेकिन उसमें सब लोग रहें ग्रीर जो दूसरे छात्रा-वास हैं उनमें भी हरिजन विद्यार्थी जाकर रहे मौर वहां सबका रहन-सहन खान पान, सब कुछ एक साथ हो, उनका पठन पाठन एक साथ हो।

श्री योगेन्द्र मकवाणा : ग्रभी भी हरिजन छाता-नहीं। शास्त्री जी, ग्राप उनका प्रतिशत बढ़ायें

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : में मकवाणा जी को कहना चाहता हूं कि मैं तो इस प्रतिगत वाली बात को हो समाप्त करना चाहता हं। दस प्रति-गत या पचास प्रतिगत की कोई बात छात्रावासों में नहीं होनी चाहिए। छात्रावासों में सबर्ण विद्यार्थी भी रहे ग्रौर हरिजन भी, उनमें प्रतिशत की बात रहनी ही नहीं चाहिए। अगर आप कहीं प्रतिशत की बात रखते हैं हरिजनों के लिये तो उससे यह अस्पृश्यता बढ़ेगी, घटेगी नहीं। आप इस बात को थोड़ा सोचिये और अगर मेरी इस बात में कोई बल है तो उस पर फिर विचार करिये ।

दूसरी बात जो हरिजन शताब्दियों से पद-दलित रहे हैं भीर सामाजिक भीर आधिक प्रधि-कारों से बंचित रहे हैं उनके लिये सरकार ने रिजर्वेशन की व्यवस्था की है। जो रिजर्वेशन उनको दिया गया है वह उनकी संख्या के मनुपात से है। मेरी अपनी इच्छा है कि उससे भी अधिक स्थान उनको सरकारी नौकरियों में आँर दूसरे स्थानों में मिलें, लेकिन यह स्थान उनको हरिजन कहकर न दियें आयें । जब हरिजन कहकर किसी को कोई सविधा दी जाती है तो उस पर एक प्रमाण पत्न लगा दिया जाता है। यह व्यवस्था में समझता हं कि लम्बी चलने बाली नहीं है। मैं सरकार से भी ज्यादा झपने हरिजन भाईयों के सामने बह बात विचार के लिये रखना चाहता हं कि अगर इस का कोई और विकल्प हो सकता है तो हमें सोचना चाहिए। जब हरिजन कह कर हम किसी को कोई सविधा देते हैं तो उसके साथ हम एक प्रमाण पत्न लगा देते है। हमको सामाजिक एकरूपता का निर्माण करना है । चाहे नौकरियां हों, विद्यालय हों, स्कूल हों, छातावास हों या

जुडिशियरो ही, सबमें सबका समान रूप से प्रवेश होना वाहिए। नीति के तौर पर प्राप पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, जो पद-दलित हैं, उनके लिये जो अनुपात ग्राप ने रखा है उसको आप बढ़ायें, लेकिन एक प्रमाण पत्र लगा कर उसको ग्राप मत बढ़ाइये वरना यह होता है कि जो एक रेखा खिची हुई थी मनों में, ऊपर से तो वह मिट जायेगी, लेकिन मनों के ग्रन्बर वह रेखा मिटेगी नहीं। इसलिये हमें इस वृष्टि से इस पर विचार करना चाहिए।

तीसरी बात, सरकार ने बहुत ग्रच्छा निर्णय लिया है कि जो हमारे हरिजन भाई हैं उनके लिये ग्राजकल जमीन देने का काम किया जा रहा है। लेकिन उपसभापति जी, हमारे देश में जमीन सीमित है और बाज भी गांवों में मैं देखता ह कि जितने लोग है, जितने हरिजन हैं उन सबको जमीन मिली नहीं। ग्रंब कारण क्या है? कारण यह है कि जमीन तो उतनी मिलेगी कि जितनी खाली होगीं या सीमा से अधिक होगी। इसलियें उनकी भख तो जग गयी, ग्रीर उनको भोजन मिला नहीं और इसलिये जिनको जमीन नहीं मिल पायी है वे भूखें के मूखे हैं। इसके लिये सरकार को यह करना चाहिए कि भूमि के बजाय कुछ दब देने वाले पण हरिजन परिवारों को दे दिये जायं। किसी को भैंस दे दी जाय, किसी को गाय दे दी जाये। उसका परिणाम यह होगा कि एक बादमी जिस को दो एकड जमीन आप दैते हैं उस को पहले बैल खरीदने पडते हैं, फिर हल का इंतजाम करना पड़ता है, लेकिन अगर उस के स्थान पर उसके पास दध देने वाले पशु हों स्रौर एक दिन में ग्रावश्यकता से ग्रधिक दो सेर दुध भी वह पैदा कर लेता हो तो उस से उसको आगठ या दस रुपये रोज की ग्राय हो जाती है। उस से वह बहत खासानी से खपने परिवार का निर्वाह कर सकता है । तो जिनको भूमि नहीं मिल सकी है उनके लिये मेरा कहना है गुह मंत्री जी देखें और कृषि मंत्रालय से मिल कर किसी ऐसी योजना पर विचार करें कि जिस में दध देने वाले पज ऐसे परिवारों को दियें जायें और उस के बाद उनकी संख्या बढाते चले जायें। बैंक उनको ऋण दे। ऐसा होने से ख़्बेत कान्ति की योजना को भी बल मिलेगा ग्रीर उनकी हालत में सुधार भी ही सकेगा।

[3 SEP. 1976] Amdt. and Misc. Provision 78 Bill, 1976

श्री इब्राहीम कलानिया (गुजरात) : हरिजनों का दूध ग्राप लेंगे ?

श्रो प्रकाशवीर शास्त्री : दिल्ली में जितना दूध आता है उसमें मोहर नहीं लगी होती कि वह हरिजन परिवार के यहां का दूध है या सवर्ष परिवार का। दिल्ली मिल्क स्कीम में तो सारा दूध एक जगह इकट्ठा हो जाता है और हमारे यहां देहातों में भी अब यह भावना भी नहीं रही। गुजरात में ऐसा हो सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में, पंजाब में प्रेसा हो सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में, पंजाब में प्रेसा हो सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में, पंजाब में ग्रीर हरियाणा में अब यह बात नहीं है। दूध हरिजन परिवार का है या सवर्ण परिवार का है, यह शायद गुजरात में होता होगा। वहां इस प्रकार की दुर्वलता होगी, लेकिन यहां इस प्रकार की. दुर्वलता नहीं है। अगर है तो इस तरह के कानून उसमें मदद करेंगे।

श्री आरोम् मेहता। यहां दूध की क्या बात है, खुन भी एक ही है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : दूध के बाद ही तो खून बनेता है, वह भी एक ही है । चौथी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि ग्राज गृह मंता-लय इस बात के ऊपर विचार करे, इस तरह का एक बिल हम पहले पास कर चुके हैं जिसमें कुछ जातियों के क्षेत्र ग्रापने बढ़ायें हैं। एक विधेयक हम यह पास करने जा रहे हैं कि झरपुज्यता को हम कानून के ढ़ारा समाप्त करना चाहते हैं ग्रौर समाज में भी उस तरह का भेदभाव समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन हरिजन के नाम पर जो सुविधायें मिल रही हैं, मेरा अपना अनमान है, गुजरात के हमारे मिन्न बतायेंगे ग्रीर भी राज्यों के लोग बतायेंगे कि हरिजनों की सुविधायें भी, गांवीं में मैंने देखा है कि कुछ परिवार तक सीमित हैं। उनमें पढ़े लिखे लोग झौर जो समुद्ध परि-वार हैं वह उसका लाभ उठा रहे हैं। सामान्य हरिजन इन सुविधाओं से बंचित हैं। होना यह चाहिए कि जो बादमी सरकारी सर्विस में मजिस्ट्रेट या कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर हो गया है जिसकी ग्राय 500 रुपए से ग्रधिक है वह इससे हटा दिया जाए । लेकिन जो दूसरे लोग हैं उनको यह सुविधा मिलनी चाहिए। जो गरीब हैं, जो भी हरिजन या इस प्रकार का वर्ग है वह बेचारा ग्राज भी नहीं जानता कि सरकार की क्या सुवि-धायें उनको मिलनी चाहिएं । उन तक यह बात

पहुंच नहीं पाती। मैं चाहता हूं कि जरा गंभीरता से इस बात को देखा जाए कि किस तरह से इसका लाभ उन लोगों को पहुंचाया जा सकता है।

एक और बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि इस काम में खाप समाज-सेवी संस्थाओं का भी सहयोग प्राप्त करें। जैसे रामकृष्ण मिणन के लोग हैं या स्वामी विवेकानन्द सोसायटी के लोग है या आर्य समाज के लोग हैं ग्रीर दूसरे भी इस प्रकार के लोग हैं जिन्होंने सैढाल्तिक दष्टि से इस को उस समय से अपने हाथ में लिया है जब यह देश स्वतंत्र भी नहीं हया था। उन्होंने प्रारम्भ से ही इसको समाज के लिए एक विष मान कर कार्य किया है। इस तरह के संग-ठनों का सहयोग भी सरकार को प्राप्त करना चाहिए, जिससे कि इस विष से देश सदा के लिए मुक्त हो जाए।

अग्तिम बात जिसको मैं कह कर बैठ जाना चाहता हूं वह यह है कि मेरा यह हार्दिक विश्वास है कि अगर इस देश से छुत्राछत को बीमारी को मिटाना है तो यह तब तक मिट नहीं सकती जब तक सवर्ण जाति के लोग अपने नामों से जातिवाचक जब्दों को लगाना नहीं छोड़ेंगे। नामों के साथ 5/7/1976 जातिवाचक शब्दों के लगने से एक रेखा खिंची जिसका ये अनाउंस करते हैं उनके साथ भी जाति-वाचक सब्द लगते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस 25 सूत्री कार्यक्रम में मैंने देखा कि जांत-पांत का विरोध करने के लिए भी एक सूत्र उसमें दिया गया है। लेकिन उस सूत्र की व्याख्या इतनी अवश्य कर दी जाए कि इस देश से जांत-पांत तब समाप्त होगी जब लोग अपने नामों के साच जांत-पांत लगाना छोडेँगे। पहले कदम के रूप में इतना तो कम से कम काम करें, क्राप शिक्षा मंत्रालय को आर्डर दीजिए कि पहली स्रौर नर्सरी क्लासेज में जो छोटे-छोटे बच्चे दाखिल होते हैं उनके नाम के साथ जाति-सूचक शब्द नहीं लगाया जाएगा । बचपन से यह जाति-सूचक शब्द लग कर उनके मन में जाति का मोह जगाता है और बड़े होकर वह जाति-सूचक प्रब्द उनके नाम का एक छंग बन जाता है।

भी एन॰ एच॰ कुम्भारे (महाराष्ट्र) : आपने सिर्फ एक पहलू कह दिया है। दूसरे पहलू को आपने छोड़ दिया है। हम जाति का नाम नहीं रखेंगे तो सामने वाला आदमी यह जानने की कोशिश करेगा कि यह कौन जाति का है। जब पता लगेगा कि ग्रैड्युल्ड कास्ट का है तो उसके मस्तिष्क के कड़े उसको काम नहीं करने देंगे।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री: मेरी बात को मेरे मिल ने सना नहीं, मैं यही कह रहा था। हमारे समाज में इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि जाति के आधार पर किसी व्यक्ति को प्रोत्साहन मिले, जाति के नाम पर किसी से किसी की आत्मीयता प्रकट होती हो या स्तेह का संबन्ध पैदा हो, ऐसी भावनाओं के संकूर जहां भी सौर जिस तरह से भी पैदा होते हैं वह सारे के सारे नष्ट किये जाने चाहिएं। मैं एक पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, दूसरे पक्ष की भी बात कर रहा हं।

(Time Bell rings)

श्रीमन्, मुझे इतना ही कहना है।

उपसभाष्यक्ष (श्री लोकनाथ मिश्र) : श्री वेश-म्पायन। मेहरबानी करके 10 मिनट ही लीजिए।

SHRI S. K. VAISHAMPAYEN (Maha-हुई है । बमी भी मैं बाल इंडिया रेडियो सुनता rashtra) : Mr. Vice-Chairman, Sir, I wish to हूं तो अनाउन्स करने वाले लोगों के नामों के extend my wholehearted support to this Bill. साथ भी जातिवाचक णब्द लगे रहते हैं, फिर The Bill has been brought forward after a very careful consideration by the Joint Committee of the two Houses. At the same time, I consider that this Bill is a little belated. But it is a step in the right direction to end the scourge of untouchability. The Bill removes all the vagueness that was there in the earlier Act. The clauses have been so framed that there is some definiteness in regard to the action to be taken. It also lays a firm hand on those who would act against the spirit of the Constitution. I support the provision made in this Bill particularly for imposing collective fines. As T see it, UH-touchabifity has assumed a very acute form during the last three to four years. There are social boycotts, burning of huts of Harijans and even murders. So, this provision of collective fines is really a provision which will go a long way to see that this :ourse is ended. The provisions are

certainly very stringent but there should also be other measures which must be taken by the Government as such. I should say that the hon. Home Minister should issue directives to all the State Governments to have a special cell in their respective Home Departments.

Secondly, there should be vigilance committees at district level and they should have Member of Parliament as Chairman and the Collector as the Secretary of that committee. It is because I have the experience of such a vigilance committee. We have tried to see that offences of this nature which come under untouchability have become less.

Thirdly, I would like to say that this social evil is still much deep-rooted. According to whatever information I have, 1 would like to point out that the extent of atrocities committed during these years has inci eased. I would like to give figures ot atrocities committed during the years 1972, 1973 and 1974 and this information has been given by the Home Ministry in a reply given in the Rajya Sabha on 27th February, 1975. I will only quote a few figures from two or three States. I will take my State first. In Maharashtra during 1972, 124 atrocities have been committed. In 1973 the number was 223 and in 1974 it was 277. This shows that the number has gone up year by year. Similarly, in Gujarat the number in 1972 is 246, in 1973 it is 248 and in 1974 it is 352. In Uttar Pradesh the figure is still rising high. The number in 1972 is 567, in 1973 it is 1179 «nd in 1974 it is 1178. So, this is still a deeprooted malady and we will have to take other measures along with these stringent provisions to combat the menace. We shall have to undertake intensive promotional activity also. I will suggest that incentives must be given to those villages who have freed themselves of this particular malady of untouchability. There are a number of villages who have declared that there is no untouchability in their villages. All the communities have come together in gram sabhas and declared so. We should give some incentives to such villages. Similarly, there are some social

[6] Amdt. and Misc. Provision 82 Rill 107fi

Scheduled Tribes, who are working in the field for the welfare of Harijans, for ending untouchability. They must also be given some special awards by the State Governments. Then, there are provisions made in our State. We have Zila Parishads. There are provisions for the welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. But our experience is that these provisions are not spent. Not only they are not spent but the provisions are transferred to some other measures which do not help the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I have figures from Maharashtra which go to show that 10 Zila Parishads, despite the provision being there for the welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, have spent zero per cent. Seven Zila Parishads have spent one per cent, four have spent one to five per cent and three have spent five to ten per cent of the provisions that were made in the Zila Parishad budgets. So, this aspect also should be gone into in each State and a directive should be issued by the Home Ministry that whatever provisions are made for the welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes should be spent on their welfare. Rather I would suggest. Sir, that these provisions should be earmarked and the allocations should not be transferred to any other department as such.

Then the question of untouchability has taken a new dimension and that dimension has an economic aspect rlso. Under the 20point economic programme we are now helping the economically weaker sections, and amongst the economically weaker sections the percentage of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes is as high as 50 per cent at some places and even 70 per cent at some other places because they are all landless labourers. Naturally because of the measures which are there under the 20-point economic programme, those who are going to benefit under them are coming into clash with the landed, vested interests in the rural areas. The question of untouchability has taken a new dimension and therefore it is necessary that the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and their leaders must organise a massive

[Shri S. K. Vaishampayen.] movement by forming a united front with the other economically weaker sections so that all the economic injustices that are being done to these poorer sections in the rural areas are ended. And if all these measures succeed—the measures under this Bill, other promotional measures and also a movement by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and their leaders with a common united front with the other economically weaker sections in the rural areas—the day of deliveiance is not far off. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI LOKA-NATH MISRA) : Thank you, thank you.

श्री रोशन लाख (हिमाचन प्रदेश) : जनाब वाइस-चैयरमैन साहब, छुब्राछुत को जुर्म करार देने पर मैं थी ग्रोम मेहता साहब को मुवारकबाद देना चाहता हं। साथ ही मैं प्राइम मिनिस्टर साहिबा को भी मुवारकबाद देता हं, जिन्होंने यह ड्रास्टिक स्टेप उठा कर इन गरीब लोगों का जो सदियों से मता-सर थे, राहत दिलाई है। लेकिन आज सोचने वाली बात यह है कि छुग्राछुत को हम सिर्फ कानुन से दूर नहीं कर सकते हैं। याज जरूरत इस बात की है कि लोगों के दिलो-दिमाग को तबदील किया जाय। मैं समझता हं कि दिलो-दिमाग की तबदीली का सवाल एक बहुत बड़ा सवाल है। जैसा अभी शास्त्री जी ने दो तीन सुझाव दियें हैं, मैं भी उनकी पुरी ताईद करता हं कि हर एक बाद में? को बपने नाम के ग्रागे से पांडया, जर्मा वगैरह कास्ट्स संबंधी बातों को हटा देन। चाहिए। कोई किस जात का है. यह बात नाम के साथ नहीं होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ कह देने से यह मसला हल नहीं हो सकता है। इसके लिए लोगों के दिलों को टटोलने की जरूरत है। जब तक हमारे दिल साफ नहीं हो जाते हैं, तब तक मसला हल नहीं हो सकता है ग्रीर न ही हमें इसमें कामयाबी मिल सकती है।

इस बारे में मुख्तसर तौर पर मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी हाल के जमाने में हम तीन दौरों से गुजरे हैं। एक दौर तो गांधी जी का बावा और फिर उसके बाद पं० जवारहलाल नेहरू जी का दौर आया और आज इंदिराजी का जो दौर चल रहा है उसको मैं इससे पहले के दौर से बा-

Amdt. and Misc. Provision 84 Bill, 1976

वस्ता करता हं। आप जानते हैं कि गांधी जी ग्रपनी जिन्दगी भर जांत-पांत, काम्युनेलिजम और कास्टिजम बारवैरिम सिस्टम के खिलाफ सारे हिन्दस्तान में जहोजहद करते रहे। ग्राखिर में उन्होंने इसके लिए अपनी जिन्दगी भी कुरबान कर दी। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जमाना ग्राया। उन्होंने समाज में सब को एकसा तरबीह देने की कोणिश की। आप जानते हैं कि गांधी जी ने पंडित नेहरू को अपना जां नशीन बनाया ग्रौर देश की बागडोर उनके हायों में सौंप दी। पंडित नेहरू ने हमारे मुल्क के लिए एक माईन बनाया जो 26 जनवरी, 1950 को कौम के सामने आया। उस वक्त यह कहा गया कि हम एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं, जिसमें सब को बराबर के हक होंगे और हम इस आईन पर अमल करेंगे। जिसकी बनियादें कोम्रापरेटिव बेसिस पर होंगी, जिसमें हर शहर को बिना किसी लिहाज--मजहब, ग्रकीदा, ख्यालात, जांत-पांत, रंगों के नस्ल----के सब को एक से हक्क होंगे, ग्रगरचे हर कसो नाकस बराबर का होगा, उस आईन के झन्दर गारंटी दी गई, लेकिन बदकिस्मती से साढ़े 26 साल गजर गये झौर हम उस पाये तकमील तक नहीं पहुंच पाये जिनके लिये काबले-फरवर काबिल नेता चाहे गांधा जो हों, पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, ने एहतिमाम किया। अब इस जमाने के दौर के ग्रन्दर मल्क की समाजी इक्तमादी हालत बेह-तर करने के लिये तजवीज की, लेकिन जो टोडी लोग, जनसंघी या फिरकेवाराना लोग थे, उन्होंने उनकी मनालिफन को। मैं पिछले 5-6 सालों के दौरान भी इस हाउस में था, इस हाउस में शोरो-शराबा ग्रीर गाली-गलीज पर लोग उत्तर ग्राते थे। यह इस हाउस की ही तौहीन नहीं थी बल्कि उससे देश का बकार नीचा होता था। चुनाचे हमने देखा कि इन्दिरा जी ने जो हमारे पुराने रस्मो-रिवाज चले मा रहे थे, इस देश में, उनको बदलने के लिये कदम उठाया । यह देण कुर्बानियों का देश है। यहां ग्रजीम कुर्बानियां दीं और त्याग किये। जब जब जूल्म व तणदुदुल व बरबरियत का दौरदौरा होता है तो कोई न कोई महान शक्ति रूनमा होती है। चनाने इस मीजदा दौर में जब धर्म और अधर्म की लडाई शुरू हुई, इन्सानियत के लिये कोई भुत बन कर खतरा पैदा हबा तो इन्सानियत के लिये कोमैं फर्ज रखने के लिये कोई झजीम शक्ति रूनुमा

होतो है। चुनाचे श्रीमती इंदिरा गांधी ने इन तमाम जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर लिया और इस देश का जो जमहूरी निजाम था उसकी कदों को पामाल नहीं होने दिया, बल्कि उनको जमहूरी जाव्तों और कायदों के बरुएकार लाकर चन्द एक श्रहम तरमीम शुदा एक दामाद इन में इस झहम तरमीमात के जरिए हाउस में लाई।

इस देश में कई हजार वर्ष पहले चाहे दह बैहनी ढांचे और बैहनी मदाखलत का अमर हो, बाहर के लोग ग्राये और उन्होंने हमारे तमास मजहब और तहनीब को बरबाद किया, चाहे बह यहां के लोगों की खुदगर्जी की वजह से हुआ। हो।

(Time Bell rings) अपने चंद ग्रल्फाओं के साथ मैं खरम करता हूं। इसका ध्रसली बुनियादी कारण हमारी गुनामी थी। हम चाहे राआग्रों के गुलाम थे धौर चाहे किसी ग्रौर बैरूनी ताकन के गुलाम थे.। एक गेर मैं ग्रर्ज करना चाहता हूं, फारसी में है:

> गर औरोज रागोयल शबन्नसतई बबायेद गुफ्त ईनंख महाप्रवीं

जब बादशाह अपने दरवारियों को दिन को रात कहता है तो मब दरबारी एक जवान होकर कहते थे ऐ झाली जहांपनाह (झासमान की तरफ़ हंगली उठा कर) वह मामने ऊपर चांद थौर तारे नजर क्रा रहे हैं। हमारे देश की यह हालत रही कि यहां पर चार ग्रादमी डोमिनेट करते रहे इस देश को--एक पूजारी चौर भण्डारी, एक मंत्री और दूसरा संतरी । पुजारी पण्डित लोग जो ये उन्होंने ऐसा आईन बनाया कि जिसने सारी कोम को मुखनलिफ खंजीरों में जकड डाला कि उससे बाहर कोई निकलने न पाए। भण्डारी वे थे जो बाहर से खेती का सामान, खाने का सामान राजा के दरबार में ग्राता था, उसको तकसीम करने थे ग्रीर मंत्री वै थे जिन्होंने भएनी लड़कियों के रिण्ने उन राजाओं से किए। उनमें इसरें जो लोग थे नातेदार, रिश्ते-दार, थे संतरी बन गए। सांगे चार लोग डामि-नेट करने लगे और जो खेत मजदूर थावह उसी खानदान से चला धाता रहा जो खेती का काम करता था। वह इतना पनमांदा हो गया कि उ.मे ग्राईनी, मयाशी और समाजी और ब्रखलाकी कदरों।

Amdt. and Misc. Provision 86 Bill, 1976

से महेरूम रखा गया, जिसका नतीजा यह हुग्रा कि वह इक्तसादी तौर पर आज भी पसमांदा है। इसलिए अगर प्राप चाहते हैं सही मायने में एक सही इंसाफ लाना चाहते हैं तो आपको जैसे प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इग्दिरा गांधी जी ने निहायत जरूरत-मंदाना, निहायत श्राला इकदामात निहायत समझदारी और आला टैक्नीक के साथ, जसहूरी कट्रों को साथ रख कर ये कदम उठाए हैं उसी तरह से आवाम को तब्दील करने के लिए भी कुछ कदम, नए कदम, उठाने पड़ेंगे।

उपसभाष्यक्ष (श्री लोकनाथ मिश्र) : ग्रब बैठ जाइए। श्री विण्वस्भर नाथ पांडे ।

श्री रोशन लाल : तो मेरा कहना है कि

उपसभाध्यक्ष (श्री लोकनाम मिश्र): 12 मिनट आपके हो गए हैं। दूसरों को भी बोलना है।

श्रो रोशन लाल : फिर मैं यह कहना चहाता हं कि महज कानून बनाने से नहीं होगा। ग्रगर श्रापने आईन मुरत्तव कर दिया और ममझ लिया कि हमने स्रो कामयाबी हासिल कर ली सो मैं समझता हूं यह कामयावी नहीं होगी। जमाना जो है उसमें श्रद उनका पैमाना सब लयरेज हो चुका है, वे ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते हैं। समाज ऐसी तब्दीलियां लाना चाहता है और अपर वे तब्दीलियां नहीं की गई तो समाज से कानून के बंधन टूट जाने हैं और उससे इन्सान एक खंखार ग्रजदा ज्ञक्ल ग्राब्त-यार कर लेता है। इसलिए ग्रगर जयहरियत को कायम रखना है, समाज को कायम रखना है, तो ग्रापको जमहरी तरीके के माथ इस कानून को इम्प्लीमेन्ट कराने में पूरा कोर सरकार को देना चाहिए ।

श्री विश्वस्थर नाक पांडे (नाम-निर्देशित) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, यह जो बिल हाउम के मामने पेश है मैं उसका समर्थन करता हूं लेकिन बड़ी ग्रदव के साथ एक बान कहना चाहना हूं कि जब नक इस ममले का कोई बुनियादी हल नहीं निकालत तब तक यह समला हल नहीं हो मकना। मैं थोड़ी सी मिसालें देकर इम चीज को साफ करना चाहूंगा। जब गांधी जी ने हरिजन प्रांधीलन धुरू किया तो बहुत से भाइयों के दिलों में बह बान ग्राई कि उन्हें खान-पान के झावह

[श्री विश्वम्भर नाथ गांडे]

तोडने चाहिए और इन बंधनों से ऊपर उठना चाहिए। हरिजन क्षेत्रों में जो लोग काम कर रहे थे उन में जस्टिस इनंकर सरन भी एक थे जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे; उनके मन में ऐसा आया कि हमें खान-यान के झगड़े तोड देने चाहिएं। मझ से उन्होंने कहा तो मैंने कहा आप ठीक कह रहे हैं। एक दावन उन्होंने कुब्ल की मेहतर भाई के यहां लडकी की आदी की । उन्होंने यह कहा कि हम पंगत के साथ बैठ कर खाएंगे। मैंने कहां, मैं तो पहले से ही खाता बा रहा था, आप में नवा जोग है, जरूर पंगन के साथ ग्राप खाइए। पंगत में बैठ कर खाया हम लोगों ने। उनको बहुत झच्छा लगा। उन्हें लगा कि उन्होंने एक पुण्य कार्य किया और हिन्दु धर्म के कलंक को--जहां तक उनका व्यक्तिगत सम्बन्ध था --- उन्होंने धो डाला। दूसरी मतंबा फिर एक दावत मिली एक मेहतर भाई के यहां। वहां गये, उन्होंने बहत कोशिश की कि पंगत के माथ बैठ कर खिलाया जाय लेकिन वे लोग टालते रहे। उन्होंने मझसे कहा कि क्या बात है, ये लोग हमको पंगत में क्यों नहीं खिलाते। दरियापन करने के बाद मैंने उनसे कहा कि इनको यह शिकायत है कि आपने बांदा टाट विरादरी वालों की पंगत में खा लिया, इसलिए हेला टाट वाले आपको कैसे अपनी पंगत में खिला सकते हैं। छग्राछन का यह एक घटट सिलसिला है। जैसा भाई प्रकाशवीर शास्त्री जी ने कहा, जाति-पांति का एक सिलसिला है जो ऊपर से चला म्रा रहा है स्रीरनीचे तक चला साया है। जब तक जाति-पांति के बन्धन नहीं टटेंगे तब तक कोई बरा-बरी का दर्जी नहीं हो पायेगा। अस्पक्ष्यता केवल द्विजों ग्रौर सो-काल्ड हरिजनों के बीच में ही नहीं है। ग्रस्पथ्यता हरिजनों और हरिजनों के बीच में है, ग्रस्पच्यता ब्राह्मणों ग्रीर ब्राह्मणों के वीच में है।

1924 में गांधी जी ने मेरे सुपुदं यह काम किया कि मैं चत्रवर्ती राजगोपालाचारी को हिन्दी सिखाने का काम करूं। मैं उनके युह-नगर सेलम गया। वहां जाकर पहले दिन मैंने उनके लिए कुछ नोट्स बनाये। उनका बाहर का घर जरा दूर या, बीच में बड़ा लम्बा लान था, उसके बाद उनका भोज-तालय था। भोजनालय में इत्तिफाक से, गलती से मैं प्रपने नोट्स छोड़ प्राया जो उनको साढ़े 3 बजे तीसरे पहर पढ़ाना था। जब मुझे याद प्राया तो मैं 2 बजे बहां गया। मेरी निगाह पड़ी, उनके बड़ें भाई भोजन पर बैठे थे, वे वेदपाठी बाह्यण थे। ऋग्येद के दसों मण्डलों का पाठ करने के बाद बे एक बार भोजन करते थे। मैं वापस आ गया। जब राजाजी को पढ़ाने दैठा तो उन्होंने कहा कि मेरे बढ़ें भाई को तुमने भूखा मार दिया। मैंने कहा 'वह कैसे'? उन्होंने कहा कि जब वे भोजन करने बैठे तो तुम वहां गये। मैंने कहा कि मैं गया था, मेरी नजर उन पर पड़ी। लेकिन मैं बहुत दूर था। उन्होंने कहा कि वे तो दृष्टि दोप मानते हैं। मैंने कहा कि मैं तो उत्तर भारत का एक बहुत ही पवित्र ऊंचे किस्म का ब्राह्मण हूं और मैंने उतनी दूर से उनको देखा। उन्होंने कहा कि वे तो उत्तर भारत के ब्राह्मणों को बराबर का नहीं मानने, उनको तो दृष्टि-दोष लग गया।

88

1946 में काजिरखेल इलाके में नोग्राखाली में जबरदस्त हिन्द-मस्लिम दंगा हगा। हमें उसका पता नहीं था, बाब पुरुषोत्तम दास जी टंडन ने कहा कि मालवीय जी बीमार हैं, चलो उनको देख ग्रायें। सबेरे 5 बजे वे मझे ग्रपनी गाही में बनारस ले गये। वहां जाकर हमने देखा कि माल-वीय जी विण्वविद्यालय में अपने भवन में बैठे हए थे बहत उदासी से भरे हए। गोपीनाथ कविराज, आचार्य क्षितिमोहन सेन, विण्वभारतीय के प्रिसिपल, सब बहत ही गमगीन, उदासी से भरे हए बैठे थे। टंडन जी ने पूछा बाब जी, क्या बात है। मालवीय जी ने कहा कि तुमने झाज का झखबार नहीं देखा. नोग्राखली में क्या हुन्ना काजिरखेल के इलाके में । पढा उन्होंने, उन्हें दु:ख हन्ना । लेकिन ब्राचार्य कितिमोहन सेन ने कहा, मालबीय जी महाराज, इसके पीछे एक बढी लम्बी ऐतिहासिक कहानी है और उन्होंने बताया कि वह कहानी यह है कि पूर्वी वंगाल में जो गांव हैं उनमें हालत यह है कि एक गांव में खाली कायस्थ रह रहे हैं, एक गांव में खाली बाह्यण मखर्जी, बनर्जी रह रहे हैं, एक गांव में नमः शद्र रहे हैं, एक गांव में खाली मसलमान रह रहे हैं। कोई मसलमान ढाका गया, वहां से कुछ खा पी कर आया, उसे हैजा हो गया। उसके कपडे वहीं धोये गये तालाब में, पोखर में। नतीजा यह हुआ कि उस गांव भर के लोग हैजे से इतने आकान्त हए---दूसरे गांवों से जो उनके रिश्तेदार आये थे, वे भी अपने साथ-साथ हैजा ले गये---कि मसलमान गांवों में हजारों की तादाद में लोग मर गये। बचा कौन ? छोटे-छोटे बच्चे 6 महीने के,

9 महीने के, एक साल के, डेढ़ साल के बचे। आस-पास के हिन्दू गांव वालों ने सोचा कि इन बच्चों का क्या होगा। एक-एक हिन्दु परिवार ने एक-एक बच्चे को पाल लिया। नतीजायह हक्मा कि लगभग तीन हजार बच्चे ग्रास-पास के हिन्दू गांवों के परिवारों ने पाल लिये, उनके लिए खेतीबाड़ी का इन्तजाम किया। दो वर्ष, चार वर्ष, पांच वर्ष के बाद ढाका के एक मौलवी साहब झाये। उन्होंने पूछा कि यहां हमारे मरीद रहते थे, उनका क्या हवा। मालम हन्ना कि उनके सब मरीद सखत हेजे में चल बसे । क्या कोई बच्चा है? लोगों ने बताया कि हां बच्चे बचे हैं। पूछा कहां हैं? कहा कि आस-पास के हिन्दू गांव हैं, उन में हैं। जब वे वहां गये और भौलवी साठब ने उन लोगों से पूछा कि साप के यहां वे बच्चे हैं तो उन्होंने कहा कि हो, ग्रौर बच्चे को झावाज दी ग्रो अब्दुल रहमान, तोर पीर साहब ऐशेचेन। उन्होंने बच्चे को देखा, पूछा कि इस का घर, जायदाद वगैरह कहां है ? बताया गया कि सब का इंतजाम है। सारा एकाउन्ट है। आप बच्चे को भी ले लीजिए और जायदाद भी ले लीजिए। हम ने इसकी सारी खेती बारी सम्हाल रखी है। लेकिन उन्होंने कहां कि हम इन की खेतीबारी नहीं लेना चाहते। परिणाम यह हुआ कि ढाका लौट कर जब शकवार के दिन उन्होंने जुमे की नमाज पड़ी तो कहा कि गोगाखली के हिन्दू इनसान नहीं हैं, फरिश्ते हैं ग्रौर उन्होंने तमाम लोगों से कहा कि झल्लाह से दुमा मांगो कि वह इन हिन्दुमों की बढती करे। उन का घर फुले-फले। यह खबर नदिया के बाह्यणों ने अखबारों में पड़ी। नवडीप के बाह्यणों ने इस के लिये एक पंडित सम्मेलन बलाया और तीन दिन की बहस के बाद एक फैसला दिया । उन लोगों से पूछा गया कि उन बच्चों को छने के बाद तुम्हारे घर की स्त्रियां रान्नाघर यानी रसोई में, नहा कर जाती थीं, तो उन्होंने कहा कि 6 महीने के बच्चे को छने के बाद बार-बार अगर पोखर पर नहाने जाना पड़े तो सारा दिन इसी में खत्म हो जायगा। वह तो राझाचर में, चौके में जाती थीं इसी तरह। इस बात को सून कर पंडित सम्मेलन के लोगों ने फैसला दिया कि जिन हिन्दु परिवारों ने अपने घरों में उन बच्चों को पाला है उन को

[3 SEP. 1976] Amdt. and Misc. Provision 90 Bill, 1976

जाति च्युत किया जाय । उन की लड़कियों को और उनकी बहुआों को जो इस अवधि में ससुराल से आयी हैं या मायके को गयी हैं उन परिवारों के लोगों को भी जाति च्युत किया जाय । वे सब परिवार जाति से बाहर कर दिये गए । परिणाम यह हुआ कि उन नवढीप के पंडितों ने तीन दिन के बाद यह व्यवस्था दी कि जिससे पचास हजार हिन्दू हिन्दू समाज से लात मार कर बाहर निकाल दिये गये ।

इस छुद्राछत, इस ग्रस्पश्यता ने न केवल हरिजनों को ही परेशान किया, बल्कि इसने पूरे हिन्दू समाज को जकड़ रखा है। जैसा कि हमारे भाई प्रकाशबीर जी ने कहा कि जब तक हमारे देश में जातिभेद रहेगा, तब तक इस का कोई इलाज नहीं निकल सकता। स्नाज कैफियत यह है कि यह जाति भेद न केवल हिन्दुओं में है बल्कि यह मसलमानों में भी है, यह सिखों में भी है ग्रौर यह ईसाइयों में भी है। 1873 में पोप ग्रिगरी से केरल के नम्बुदरी ईसाइयों ने शिकायत की कि हम नहीं चाहते कि एड़वा ईसाई हमारे गिरजे में आयें। तो उस के बाद, 1876 में पोप ग्रेगरी ने इस बात का ऐलान बुल, जारी किया कि कोई एजवा ईसाई नम्बुदरी गिरजे में नहीं जायगा । तो आज हालत यह है कि इस जांत-पांत ने हम लोगों को पूरी तरह से जकड कर रखा है। लेकिन यह हमेशा से नहीं थी। ग्राप देखें पराजर स्मृति, ग्राप देखें याजवल्क स्मृति, आप देखें बोधायन स्मृति, कहीं भी इस का समर्थन ग्राप को नहीं मिलेगा। कुरान में लिखा है कि सब इंसान बराबर हैं। कोई वढ़ा नहीं, कोई छोटा नहीं । बाइबिल कहती है-सब इंसान बराबर हैं। न कोई बड़ा है न कोई छोटा। तब फिर यह बहे और छोटे की भावना क्यों? फिर क्यों यह जात-पांत की, छुआछुत की और ग्रस्पुण्यता की भावना फैली ? इलाहाबाद में हमारे एक प्रोफेसर थे नईमुरुहमान साहब । उन्होंने एक बहुत लम्बी फेहरिस्त रखी थी। मैंने एक दिन कहा कि यह क्या है। तो उन्होंने बताया कि हम लोग भटनागर कायस्थ हैं। फिर हम लोग मुसलमान हुए। तो जब हम अपने बच्चों की शादियां करना चाहते हैं तो इसी फेहरिस्त से ढूंढ कर शादी व्याह करते हैं। भटनागर भटनागर में शादी होती है,

Amdt. and Misc Provision 92 BUI, 1976

[श्री विक्वम्भर नाथ पांडे]

हम बाहर प्रादी नहीं करते। तो यह रोग न सिर्फ हिन्दुओं में है, न सिर्फ मसलमानों में है, न सिर्फ ईसाईयों में है, बल्कि पूरे समाज के भीतर है। एक जमाना था कि जब बंगाल में जात-पांत बहत थी और उस समय कहा जाता था कि जात मारले तीन सेन-विलसेनें, केंग्रवसेने, स्टेसेने ग्रथात् विल्सन के होटल ने, केणव सेन के ब्रह्म समाज ने और रेल के स्टेशन ने सारी जात-पांत को तबाह कर दिया। फिर बडा समाजी भी अपने जाति में ढंट कर णत्वी व्याह करने लगे ग्रौर हर जाति का उसी जाति में काम होने लगा। तो इस लिये आज आवश्यकता इस बात की है कि हम इस बात को सोचें और गंभीरता के साथ सोचें। यह रोग ऐसा है जिसने इस देश की जहें खोखली कर दी हैं। कब तक हम इस खोखले-पन को वर्दाक्त करेंगे? कब हम इसका एक परमा-नेंट इलाज निकालेंगे, जिससे कि पुरे समाज में चेतनता आये और यह समाज डेमोकेसी का सच्चे माने में उपभोग कर सके।

इसलिए मैं आपसे यह ग्रजं करना चाहता हूं कि इस बात को देखें कि यह कैसे किया जा सकता है और जैसा प्रकाशवीर शास्त्री जी ने सुझाव दिया है, एक व्यापक बिल इसके लिए लायें । जब तक इसका व्यापक रूप से इलाज नहीं निकालेंगे—-ग्राप इलाज कर रहे हैं, ठीक है—-लेकिन उसके ग्रसर गहरे नहीं होंगे, गहरे नतीजे नहीं निकलेंगे गहरे नतीजे तब निकलेंगे जब हम कोई स्थाई इलाज करेंगे ।

श्रीमंती लक्मी कुमारी चूड़ावत (राजस्थान) : उपसभाध्यक्ष जी, जो बिल हमारे सामने है, उसका मैं तहेदिल से स्वागत करती हूं । यों तो पहने भी ऐसे कानून बना रखे थे, लेकिन उनमें श्रीर मजबूती लाने के लिए आज जो कुछ चन्द लाइनें जोड़ी गई हैं उनका मैं स्वागत करती हूं । लेकिन इसके साथ ही मेरे दिमाग में यह शंका भी है कि क्या आज की जो जोड़ी हुई चन्द लाइनें हैं, वह समाज के संश-श्रंश में व्याप्त इस जहर को हटा सर्केंगी । यह जो छुग्राछूत का भेद हैं, यह हजारों वर्षों से इस मुल्क में चला या रहा है । ब्राजादी के 25-30 साल बाद हमने इसको मिटाने की कोशिश की, लेकिन बहुत कम दर्जे पर इसको कर पाये । जब हम अपनी प्राचीन संस्कृति, इतिहास या धर्म को देखते हैं तो शायद ठजारों वर्षों से कुछ जातियां ऐसी हैं जिनके ऊपर घोर ग्रत्याचार होते रहे। उनको कभी इंसान की तरह से रहने का मौका नहीं दिया गया । बल्कि मैं कहंगी कि एक साधारण से पण कुत्ते के मकावले में हमारे समाज ने इन जातियों को जगह नहीं दी । हम देखते आये हैं, शास्त्रों में भी यह लिखा है कि अगर बेद का कोई शब्द किसी शद्र के कान में पड जाये तो उसको शीशा गर्म करके उसके कान में डाल कर जला देना चाहिए । लिखा ही नहीं है, दक्षिण में ऐसे कांड हुए हैं । कहते हैं कि अस्पच्य लोगों के कानों में गर्म-गर्म शीशा डाला गया ग्रीर वे मारे गये। बाज भी किसी ब्राह्मण के ऊपर छाया पड जाती है तो स्नान तो वह करता ही है, लेकिन उस अस्पूर्ण्य को दण्ड दिया जाता है। इस तरह से एक घोर जल्म ग्रौर ग्रत्याचार हम लाखों, करोडों, लोगों के साथ आज तक करते आये हैं। लेकिन गांवों में तो छग्राछन का चलन, प्रचलन ग्रब भी चल रहा है, जहरों में कुछ कम है। हमारे देश के कुछ प्रान्तों में बहुत ज्यादा है, कुछ प्रान्तों में कम है। जब हम पंजाब की तरफ नजर डालते हैं तो उधर उतना नहीं है लेकिन दक्षिण की तरफ जाते हैं तो वहां पर छुम्राछत म्राज भी उसी ढंग से चली बा रही है। तो इस छग्राछत को मिटाने के लिए केवल कुछ कानन की लाइनें इसमें वल नहीं दे सकेंगी । कुछ बल जरूर मिल सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी सामाजिक कान्ति करने की जरूरत है। हमारे विचारों में वहत जबरदस्त तब्दीली लाने की जरूरत पडेगी । कानन तो पहले भी बना हुआ है, लेकिन अगर हम देखें तो आज तक इन 20-25 वर्षों में इस कानन का इस्तेमाल कितने प्रतिगत लोगों के ऊपर हन्ना है, तो पता चलेगा कि बहत कम लोगों पर इसका इस्तेमाल हम्रा है । ग्रभी थोड़े दिनों की घटना बताती हं । हमारी कंस्टीट्युएंसी में एक अस्पुज्य जाति का लडका था । वह पीछोन बन गया था, उसको गांव के लोगों ने इस तरह से मारा पीटा, व उसको नहीं रखा गया। वह कलेंक्टर के पास गया, लेकिन उसको कोई स्थान नहीं मिला। ग्राखिर परेशान होकर उसका बाप उसको दिल्ली में लाया है ग्रौर कहीं डेली वेजेज पर उसको रखा है। गांबों के स्कूलों में यह हालत है कि वे हरिजन बच्चों के हाथ का पानी भी नहीं पीते। एक नहीं स्रनेकों ऐसी वातें, ऐसे जल्म हमारे समाज में इन लोगों के ऊपर होते रहते हैं । हालांकि हमारे संविधान में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि कास्ट, बीड एंड सेक्स के ग्राधार के बिना सब को बरावर ग्राधिकार दिए जाएं । पांडे जी ने भी कहा है कि सभी जीव बराबर है । कहने से, शास्त्र में लिखने से कुछ होने वाला नहीं है । संविधान में लिखना ग्रीर बात है ग्रीर व्यावहारिक दृष्टि से उसे लागू करना दूसरी बात है ।

जो संबंधित मंत्री जी है उनके सामने में एक सुझाव रखना चाहती हं जो कानून से संबंधित है। जब सरकार यह कानून लाई है तब मैं यह कहना चाहती हं कि ग्राज जो मंदिर है, मस्जिद हैं उनमें से कई मंदिरों में हरिजनों के प्रवेश पर पाबंदी है। जो बड़े-बड़े मन्दिर हैं, सरकार के ट्रस्ट बने हुए हैं उन ट्रस्ट वाले मन्दिरों में भी हरिजनों का प्रवेश नियेदध है। ग्रभी कुछ महीनों पहले मैंने ग्रखबार में पढ़ा था कि महाराष्ट्र के एक मन्दिर में एक डिप्टी मिनिस्टर को जाने से रोक दिया गया क्योंकि वह ऊंची जाति का नहीं था। मैं ग्रपने स्टेट का जिक करना चाहती हूं । वहां नायद्वारे का मन्दिर है। यही नहीं वहां और भी बड़े-बड़े मन्दिर हैं और करोडों रुपये सालाना उनकी ग्राय है । वहां पर टस्ट काम कर रहे हैं लेकिन उन मन्दिरों में हरि-जनों को जाने की इजाजन नहीं है। हरिजन वहां जा नहीं सकते हैं। मैं यह कहना चाहती हं कि जब झाप दूसरी चीजों पर कानून लगा रहे हैं तो जो ग्रापके मन्दिर हैं जिन पर ग्रापके ट्रस्ट काम कर रहे हैं सबसे पहले उन मन्दिरों को हरिजनों के लिये खोलिये । कागजी कानन से कुछ नहीं हो सकता । इसमें आपको आगे आना होग्रा । में सोचती हं कि ग्रगर ग्राप ग्रपने मन्दिरों में भी हरिजनों का प्रवेश डंके की चोट पर करा देंगे तो आपके कानून का कुछ हद तक मकसद पूरा हो जाएगा । वे बेचारे धर्म में, ठाकूर जी में, भगवान की मूर्ति में विश्वास रखने वाले हैं और उनके दर्शन करने के लिये तरसते रहते हैं। मैं जहां तक जानती हं समाज कल्याण विभाग से हरिजनों को अलग मन्दिर बनाने के लिये रुपया मिला है और उन्होंने अपने अलग ठाकर जी कायम किये है। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या भंगियों के ठाकुर जी झलग हैं ग्रौर ग्रापके ठाकूर जी ग्रलग हैं ? ग्राप उनके लियें अलग मन्दिर बना कर, उनके अलग मन्दिर बनाने के लिये पैसा देकर छुआछुत को नहीं मिटा सकते। साप उनको सलग कुइयां बनाने के लिये पैसा देते

Amdt. and Mis_c. Provision 94 Bill, 1976

हैं तो क्या इससे छुआ छूत मिट सकती है । जो सार्वजनिक कुएं हैं जहां से दूसरी जातियों के लोग पानी भरते हैं वहां पर हरिजनों को जाने का अधि-कार क्यों नहीं देते हैं । प्राप उनके लिये अलग कुएं क्यों बनाते हैं ?

में ग्रापका ज्यादा वक्त न लेकर इतना निवेदन करना चाहंगी कि जब तक समाज की ग्राधिक स्थिति नहीं सुधरेगी तब तक ये जो छोटे-मोटे काम हैं पूरे नहीं कियें जा सकते । इसलिए सबसे पहले जरूरत इस बात की है कि उनकी आधिक स्थिति में सुधार लाया जाय । हम देखते हैं कि जब कोई हरिजन लड़का ग्रच्छी दूकान पर बैठा होता है ग्रीर ग्रच्छे साफ कपडे पहने होता है तो सब लोग वहां पर कोकाकोला पीते हैं । लेकिन ग्रगर कोई ग्रादमी गंदे कपडे पहने होता है तो वहां पर कोई भी कोई चीज खाना पसंद नहीं करता है। इसलिए में कहती हं कि ग्राधिक स्थिति का मनुष्य की जिन्दगी पर बहत बडा ग्रसर पडता है। हम लोग इन लोगों को जो नौकरियों में इंसेंटिव दे रहे हैं वह तो देना ही चाहिए लेकिन हम सब लोगों को नौकरी नहीं दे सकते हैं। इसलिए मैं यह निबे-दन करना चाहती हं कि इन लोगों को हमें दूसरे धन्धों में भी इंसेंटिव देना चाहिए । झाज जरूरत इस बात की है कि उनके लिए दूसरे रोजगारों का प्रबन्ध किया जाय । हम देखते हैं कि डाईक्लीनिंग के लिए स्नोबाइट जैसी बड़ी-बडी कम्पनियां होती हैं जब कि सब काम धोबी करता है। ऐसी हालत में इस प्रकार के काम हरिजन लोगों को क्यों नहीं विये जायें, इस पर हमें गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए । मैं फिर इस बात को दोहराना चाहती हं कि सबसे पहले आप हरिजनों के लिए मंदिरों के द्वार खोलिये। सिर्फ कानून बनाने से ही काम नहीं चलेगा।

SHRI K. K. MADHAVAN (Kerala) : Sir, it was long ago that the Constitution of India abolished untouchability. But even before that, there was a movement for the annihilation of untouchability, right from the days when Dr. Ambedkar had to fight the social evil through his book, which was originally meant for a presidential speech at a meeting which did not take place. Later on it was published as a book. The meeting did not take place and he said many things in that which were very unpalatable to the would be

IShri K. K. Madhavan]

audience. This book is well known under the title "Annhilation of Caste". 1 lor one say that abolition of untouchiibility alone cannot deliver the goods. We have to abolish the caste system also. Un- j touchability is a consequence of the caste system, and the caste system, in its turn, is a consequence of the "Chathur Varnya" system. I do not want to deal with the theoretical aspect of this question. Whatever we have gained in India against untouchability is because of three factors: (1) By the resistance of the weaker sections of the society, the so-called uutouchables; (2) by Governmental help; and (3) the most important of all, by the efforts of an enlightened section of the society in India. Of the three factors, the third factor for which Mahatma Gandhi Is largely responsible, is gradually going down, now I do not know what the reason is. - I have my own explanation, in the present in free India, context, the erstwhile untouchables have a sense ot right, an awareness of their rights, and they have begun to assert. It is only natural that when the weaker sections of the people become aware of their rights and they begin to strike back or when they begin to assert themselves, certainly, the exploiters will have with redoubled vigour, a new programme for suppressing the underdog. That is exactly what happens. In many States, the cases ot atrocities on the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are on the increase. It is admitted even by the official quarters. Why does this happen? because the casteist This happens simply monopolists who look down upon these weaker sections of people as their slaves, cannot tolerate the later coming up. This is not untouchability, Sir. This is something worse than untouchability. This is an inhuman attitude which cannot be tolerated in any civilised society. This unsocial attitude la known under the nomenclature 'casteisnV Why does this casteism occur? This caste-ism occurs, I would say, because of untouchability, which has been declared, treated and punished as a crime. The basic law now being against it, it has

. Amdt. and Misc. Provision 96 Bill, 1976

now gone underground, it nas gone unuetground into the minds of men and ticre it reigns raising its ugly head in the form of a war of nerves the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. I say, it is a perpetual war of nerves. This war of nerves cannot be defeated very easily. A war can be won only by a stronger force. In the case of a war of nerves also it can be won by a superior forre combating the evil. That is what is happening in India. Some of our friends in this hon. House were saying that certthi social service organisations like the Rama-krishna Mission, the Arva Samai and some other Samajams. that they should take up the work, that the Scheduled Caste leaders should themselves take up the work. We are prepared, Sir. We ate actually doing that work. Nobody need advice us on that account. But 1 would ask, is it enough for hon. Members to sit in their armchairs and exhort people to do the job for them? I would say, Sir, that it is the duty of these people, the leaders of this country, to take up the cause and fight it to extinction as the Father of Nation has done.

Now, Sir, though I admit that this is a progressive Bill and it provides for so many good things, still I have a feeling that there is a section which ought not to have found a place in this Bill. What is that section? That is clause 2 of section 17 of the Bill which seeks to amend section 15 of the principal Act. Now, clause (2) of section 17 of the Bill says : "Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, when any public servant is alleged to have committed the offence of abetment of an offence punishable under this Act, while acting or purporting to act in the discharge of his official duty, no court shall take cognisance of such offence of abetment except with the previous sanction (a) of the Central Government in the case of a person employed in connection with the affairs of the Union, and (b) of the State Government, in the case of a person employed in connection with the affairs of a State." Sir, why this exemption? Sir, this protection aggravates the

caste mentality of the officers. My complaint, consistent with the spirit of the 20-point is : "why do you provide this section" ? I am getting hundreds of complaints against casteism being practised in Government offices in the matter of appointments as well as administration at air stages in public sector undertakings are much worse.

SHRI N. H. KUMBHARE : This amendment is made at the instance of the Government. This is a Government amendment, otherwise there was no such provision.

SHRI K. K. MADHAVAN : Casteism largely is the cause of our disability whereas untouchabilily is under control. The disease has assumed the new form of casteism in Government offices and in farms and factories. In the farms where the workers refuse to be dictated by others, we find that by the substitution of the new provision in section 15 Govern ment seivants will be protected and enly the Government will have the power to sanction prosecution against them. Sir, it is the right of a private citizen to complain if he is discriminated against. Why should the agrieved Scheduled Caste citizen be denied of that right to take the matter to a court of law. If the wrong-door is an officer of the Central Government it is only the Central Government which has the powers to take legal proceedings against him. If he happens to be a public servant of a State Government it is only the State Government which is competent to institute proceedings against him. Why should these public servants be given this exemption, this protection?

[The Vice-Chairman (Shri Ranbir Singh) in the Chair]

It is unwarranted, Sir. I should say that clause (2) of section 17 of the bill should be taken away from the Bill for the simple reason that it places the victim of the wrong at a disadvantage when he files a complaint. This clause (2) of section 17 of the Bill is a black spot on this legislation. It is not consistent with the spirit of our democracy; it is not 28 RSS/76-4

Amclt. and Misc. Provision 98 Bill. 1976

programme which has been hailed from all quarters. So, I would suggest that better wisdom should prevail against this clause.

Sir. I was referring to casteism entertained in Government offices and at other public places. Such public places are not mentioned in this Bill or in the piincipal Act. That is the deficiency. This deficiency has to be made good. How should it be made good? I would suggest that the amplitude of this Act should be made wider so as to include anti-Harijan, anti-tribal, attitude and discriminatory actions of Government officers punishable within the Act. Unless that is done, the administration would not improve, would not become free from casteism.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAN-BIR SINGH) : Try to wind up now.

SHRI K. K. MADHAVAN : Sir, unless this is done our social system and our democracy will not progress. Thank you, Sir.

SHRI ABU ABRAHAM (Nominated) : Mr. Vice-Chairman, Sir, every year, a few times we, in Parliament discuss the subject of untouchability of Harijans and we have done this for many years now. But since independence, it seems that the condition of Harijans has not changed very much. We still read in the newspapers everyday of open discrimination against Harijans, violence against them, their living conditions also remaining the same. We have cases of landlords attacking Hari-jan villages and the police doing nothing about it. The Harijans get arrested very often and the landlords get away with it. We have to consider why the situation is like this. Why, after so many years and after trying to do so much, have we made so little progress'.' I think it is because we have an attitude of doing charity to the Harijans like the salvation army used to do the poor in the old days. And this has got to change. What we have to do is to improve the political and economic power of the Harijans. Unless we do

tShri Abu Abraham! that, it will be very hard for any legislation to improve their condition.

Sir, this Bill is a progressive Bilt, a radical Bill and its provisions, I am sure, will give to untouchables the legal right that they deserve and should have. But this is not enough. I think we have to attempt to make radical changes in the social structure, the basic structure of our society. Unless that is done, we cannot expect the conditions of the Hari-jans to improve very much.

The important point to be considered here is that Harijans themselves should have the means to defend themselves and to look after their interests. They will have to organise themselves. They will have to educate themselves. They will have to take a greater part in the democratic processes in this country. It is these things that matter and the Government should try to help them, enable them to assert themselves and to organise themselves. But so long as the Harijans remain largely illiterate, they will neither be able to defend themselves nor make any economic progress. I know that the recent measures of land distribution to the landless has helped Harijan communities in many parts of the country but a great deal more needs be done. There has to be a massive attempt to educate the Harijans, to give them literacy, to give them the basic tools with which they can improve their conditions. Sir, for example, Kerala's work in this matter is worth-noting. A hundred years ago, when Swami Vivekananda visited Kerala, he said that this was the most reactionary State that he had ever been to. In those days. there was not only untouchability, but there was also unapproachability and unseeability. Today, if you go to Kerala, you can see the difference. This is not necessarily because of legislation, not even by propaganda or by charitable acts, but by organising the rural labour and the industrial labour and by giving them the tools and the means by which they could fight for their rights. This is what should have been done in other States also. This has been done in Kerala.

neraia nas a very high level of education and this has made a tremendous impact in destroying the caste system. I do not say that it is completely destroyed. But it is very negligible now. Privately, people may have prejudices. But in most parts of Kerala, it is very difficult to see any open discrimination against the harijans. The Kerala Government have built houses for the poor people. In these houses, the harijans live side by side with the other people who belong to the higher castes. It is not so in other States. In the other States, separate housing schemes are there for the harijans.

SHRI K. K. MADHAVAN : For the information of the hon. Member, I would like to state that in Kerala the harijan population is not segregated generally.

SHRI ABU ABRAHAM : This is what 1 am saying. But in the old days, there were segregated areas where the harijans lived. Therefore, our most important task shoul'd be the desegregation of the harijan population. When we build hostels for students, they should be for every one. Why should there be harijan hostels? If such is the case, why not we have buses and trains exclusively for the harijans? It has been said that the Railways have made a great contribution in changing the social pattern in this country because in our trains the harijans and other people travel together. In the same way, I think we should have common hostels, we should have hostels where the harijan boys can stay along with the boys belonging to the higher castes. In any case, it has been proved to be a racket where these people have been exploited and people have been making money. This is a well known fact.

Sir, we say all the time that we are a secular State and we are getting more and more secular as years pass by. But the interesting thing is that while we say that we are becoming more secular, it seems to me that we are getting more and more religious. I do not see any attempt being made in this country to break the hold of religious orthodoxy on our society. Now,

many distinguished people, political leaders ، هيں اور ان کی جو چاايس برس پہلے and high dignitaries seen to be encourag-1 ing حالت تھی آج کیچھدزیادہ فرق اس میں like to میں orthodoxy. In this connection, I would ' like to ive the example of the revival of the cow نہیں آیا ہے۔ میں بھی ایک گاؤں کا protection campaign. May I ask why the ban on cow slaughter has so suddenly been introduced in Tamil Nadu, Andhra Pradesh and اس لئر میں جانتا ہوں کہ حالت کیا Maharashtra? This has directly affected are poor people in this country. This has directly affected کیا ہے۔ تو پتہ جلا کہ جن لوگوں the harijans in this country. I can only say this is ے پاس ہریجن سەھار کا یعنی شیڈولڈ a way of encouraging religious orthodoxy. The other day Shri Vinoba Bhave made an خلسك كے سدھار كا كام ہے وہ سركاری but is the كلسك کے سدھار كا كام ہے وہ سركاری answer to the removal of untouchability. Now this is a direct insult to all people who eat meat. ان کا کوئی عقیدہ نہیں ہے اس پر ان The implication of that remark is that people who eat meat automatically go down the social ladder. On the contrary, I say that people must متحلص لوگ هيں جو که واقعی اس ميں استان المنا المنا بالذي المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا achieve equality. This should be the aim of the Government and they should not give in to لوگوں کے سپرد کرنا چاہئے اگر ہم آن Vinoba Bhave. Any agricultural scientist will say that we have too many cattle in this country and it is necessary to have a certain amount of slaughter and meat-eating.

cultivation of a scientific temper" and is it too much to ask the Government itself to show a scientific temper in this matter?

رہنر والا ہوں جہاں کا میں پاٹل ہوں ہے۔ میں نر وہاں پوچھا کہ آخر بات نو کری تو کرتے ہیں لیکن اس کام میں کو بنیروسہ نہیں ہے۔ لیکن ایسر کچھ عقیدہ رکھتے ہیں اس کام کو ایسے کی حالت میں کوئی سدہار لانا چاہتے ہیں تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے sir, the new duties of citizens include "the همارے Sir, the new duties of citizens include "the کالج الگ ہونے چاہئیں ہمارے ہوسٹل الگ ہونر چاہئیں ۔ ایک اور بات میں کبھی کبھی سوچتا ہوں ہمارے لائق دوست اب تو هريجن لفظ کو بھی پسند نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شیڈولڈ کاسٹ کہو **-** گاندھی جی نے ی**ہ** کیا نیا لفظ گھڑ لیا تھا ۔ میں اس بات کا قائل ہوں کہ ڈاکٹر امبیڈ کر بڑے عالم فاضل تھے۔ انہوں نے ہریںجنوں کی بڑی خدمت کی لیکن گاندھی جی نے بھی کم خدمت نہیں کی شیڈولڈ کا سٹ کی انہوں ان کو دہت اعلی سطح پر کھڑا کر دیا۔ متجہر معلوم نہیں کہ کتنے لوگوں کے یہا**ں** کھانا بنانے والے ہریجن ہیں ۔ میں سیواگرام گیا وہاں میں نے دیکھا کہ کھانا پکانر والی لڑ کیاں ہریجن ہیں ۔ کھانا پروسنر

[RAJYA SABHA] Amdt. and Misc. Provision 104 103 Untouehability (offences) Bill, 1976 na na [شری سکندر علی وجد] ` جب کوئی لیڈر کہتا ہے کہ سیکولرزم آگيا ہے تو ميں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ والے دینے والے ہریجن میں ۔ یہ ہے پريکٽيکل هرينجن سدهار ۔ معلوم نميں جھوٹ بول رہا ہے ۔ حب بھولا پاسوان شاستری جی نے ان کا نام ۲۰ نمبر اوپر ہمارے کتنر ،نسٹروں کے یہاں ہریجن كر ديًّا تب أن كو مكان ملا - ميں نوکر ہیں یا دوس ذلت کے لوگ یہ بھی کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں ایسے هیں همارا سیکولرزم تو هماری بھی لوگ ہیں ۔ بہ لوگ جو سیکولرزم چمڑی کے بہت نیچے نہیں گیا ہے۔ کا پرچار کرترے ہیں یہ کچھہ نہیں هریجنوں کی بات تو دور رہی ۔ ابھی ہے - اُس کے معنی لوگوں کو کم اس ہاؤس میں بات چل رہی تھی کہ سمجهه میں آئے ہیں ۔ اگر میں دیکھوں شادیاں ہونی حاہئیں انثر کاسٹ ۔ اس گا کسی برہمن کے گھر میں ہریجن کھانا سے بڑے مسئلر حل ہو جائیں گر ۔ پکانر والا ہو کسی سید سادات کے گھر متجهر به سن کر خوشی هوئی لیکن میں میں ه<u>ري</u>جن کھانا پکانے والا هو تو هم آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دہلی بڑا قرقی کہینگر کہ سیکولرزم یہ ہے۔ میرے یافته شهر ہے بڑا کاسٹ موپولیشن شہر پاس ایک درخواست آئی ہے ۔ ہم کہتے ہے یہاں اورنگ آباد کی ایک مسلمان لڑکی نے ایک ہندو سے شادی کر لی۔ ہیں **کہ ہری**نجنوں کو کچھہ **مل** گیا مسلمانوں کو کچھہ مل گیا۔ میں کہنے کو اس کا شوہر بڑا آفیسر ہے پوچھنا نہیں چاہتا کہ کتنے مسلمان لیکن چودہ سال ہو گئر اور اسے پوليس ميں ھيں کتنے کس ڏپارڻمنٽ ميں بارہ مکان بدلنر پڑے ہیں ۔ ہر جگہ ہیں ہمار چیف منسٹر کے وطن پیٹھن يه کما گيا که يه تو مسلمان ہے اس نے کہا کہ میں تو ہندو ہوں تو میں ایک جلسہ ہوا وہاں کیجھہ لوگ آئر وہ بھٹکر سماج کے لوگ ہیں خانہ حواب ملا که تمهار باپ تو مسلمان تها بدوش لوگہ آبادی کے لیحاظ سے صرف اسی لئر ان کو مکان نہیں ملتا ۔ ہمارے اوم سہتد جی اس وقت منسٹر تھے میں مہاراشٹر میں ہو سے . ۲ لاکھ وہ لوگ نے کہا کہ یہ کیوں ہوتا ہے۔ ہم **میں۔ ہزاروں سال گذرگئر آج تک ان** کو کوئی مکان کوئی زمین نہیں ملی۔ کانگریس کے لوگ کیسر کہیں کہ آپ تو زمین کی بات کرتے ہیں ہم نے ان لوگوں کے سامنے کہ بھائی سب کے لئے سے پوچھاکیا تم کو مکان کبھی نہیں برابر حق ہے ۔ آپ ان کو مکان کیوں للا۔ انہوں نر جواب دیا ہمیں زمین سے نہیں دیتر ھیں ۔ مدراس میں تو انعام کیا تعلق جہاں گاؤں میں کام ملتا ہے ملتا ہے۔ انہوں نے کہا بات تو ایسی وهاں هم رهتے هيں اور کام ختم هوجاتا ھی ہے اس کے بعد میں نے بھولا پاسوان شاستری سے کہا کہ آپ تو شیڈولڈ ہے تو دوسرے گاؤں میں چلر جاتر ہیں۔ کاسٹ کے آدمی ہیں۔ میں چاہتا ہوں ہمارے شڈولڈ کاسٹ اور دوسرے بھائیوں کو بہت حقوق ملے ہیں لیکن انہوں نے که یه شادی جو هوئی ہے اس پُر ان کو کہا کہ ہزاروں برسوں سے ہم کو کوئی مکان ملنا چاہئر ورنہ میں ان کو مکان نصیب نہیں ہوا۔ حب ان کا لیڈر اندرا جی کے پاس لے جاؤں گا۔ اور کہوں گھونسلے بولنے کے لئے کھڑا ہوا تو | کا یہ لیڈر جھوٹ ہولتے ہیں۔

ہمارے منسٹر صاحب بھی اس کی تردید نہیں کرمکر کیونکہ سیحی بات کی کوئی تردید نہیں کرسکتا۔ ہمارے ملک میں کروڑوں کی آبادی ہے خانہ بدوشوں کی ان کاکوئے حساب ہے؟ ان کا کہیں نام نہیں ہے شیٹول میں مگر وہ موجود ہیں ان کا وحود ہے۔ پندرہ لاکھ آدمی ، بہاراشٹر میں پھر <u>رہے</u> ھیں **گاؤں گاؤں م**یں ان کا کوئی گھر نہیں کوئی کھیت نہیں کوئی مکان نہیں ہے۔ ہم نے ہریجز. اور شیڈول کاسٹ کے لوگوں کو مکان دلائر گائیں دلائیں۔ بکریاں دلائیں۔ جهونپژیاں دلائیں یہ اپنی جگہ پر ہے لیکن ور لاکھ خانہ بدوشوں کو مکان نہیں ہے زہین نہیں ہے ان کی زندگی ایسی ہے۔ بدقسمتی دیکھئے ان کے بھی کئی قبیلے ہیں کئی ذاتیں ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے یماں آپسمیں شادیاں ہوتی ہیں انہوں نے کما شادیاں نہیں ہوتی ہیں ۔ یہ جاتی بھید وہاں تک بھی پہنچا ہے۔ تو يه مسئله بېت هي پيچيده هے يه شڈواڈ کاسٹ کے مسلے سے بھی بڑھکر بات ہے۔ اب تو گویا میں خانہ بدوشوں کا لیڈر ہوں

उपसभाष्यक्ष (श्रो रणक्षेर सिंह : 20 नुकाती प्रोग्राम में उन्हें मकान दिलाइये अपने राज्य में ।

شری سکندر علی وجد : جن کے گھر نہیں ہیں جن کی عزت نہیں ہیں میں ان کا لیڈر ہوں ان کی یہ جو درخواست آئی ہے یہ فیکٹس اور فیگرس کے ساتھ ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ہاؤس اس معاملے میں میرا ساتھ دیگا۔

میں نے گاؤں گاؤں دیکھا ہے جب سے میں نر یہ دیکھا ہے کہ .γلاکھ

آدمیوں کے پاس کھر انہیں ہے کھیت نہیں ہے چھونیڑی نہیں ہے کوئی سہارا نہیں ہے تب سے میرا دل بیٹھ گیا۔ میں بہت شکر گذار ہوں کہ سرکار شیڈولڈ کاسٹ کے لئے بل لائی ہے پر میں نے دیکھا ہے ان ڈافہ بدوشوں کی مدد کرن کے لئر قانون میں کہیں نہیں ہے آپ کے اس بل میں بھی کہیں نہیں ہے آپ کے

उपसभाष्यक (श्री रणबीर सिंह): यह सब 20 नुकाती प्रोग्राम में है।

شری سکند علی وجد : آپ بھی ایسے علاقے سے آتے ہیں جہاں گاؤں کے لوگ رہتے ہیں آپ میں بھی طاقت ہے جوش ہے لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ ہے خود ہمارے اوم مہتہ جی ہیں ان سے اور سبھی دوستوں سے اپیل کروں گا کہ ان لوگوں کے لئے جن کوئی سہارا نہیں ہے رہنے کے لئے مکان نہیں ہے ان کی مدد کریں۔ شکریہ

†[ओ सिकन्दर झली वज्य (महाराष्ट्र): जनाब वाइस चेयरमैन साहब, मैं इस बिल की ताईद करता हूं । इस में जो सजायें मुकर्रर हैं या जो पाबन्दियां हरिजनों के मुखालिफ़ों के लिये मौजूद हैं वह बहुत वक्ती हैं और उन की बहुत जरूरत थी । एक बात मुझे और कहनी है खास तौर पर। सभी मैं मराठ-वाड़ा का दौरा कर के झा रहा हूं और मैं वहां गांब-गांव गया। मैंने कुछ ज्यादा तब्दीली वहां देखी नहीं । मैं हर बस्ती में गया, मागवाड़ा घेड़ बाड़ो में और दूसरी जगहों पर भी । उन के अलम कुंऐं हैं। वहां वह रहते हैं सौर उन की जो चालीस बरस पहले हालत थी आज कुछ ज्यादा फर्क उस में नहीं झाया है । मैं जिस गांव का रहने वाला हूं, जहां का मैं पाटिल हूं । इसलिये मैं जानता हूं कि

†[] Hindi Translation.

Amdt. and Misc. Provision 108 Bill, 1976

[ओ सिकन्दर ग्रली बन्द]

हालत क्या है। मैंने वहां पूछा कि ग्राखिर बात क्या है। तो पता चला कि जिन लोगों के पास हरिजन सुधार का यानी मेड्यल्ड कास्ट के सुधार का काम है वह सरकारी नौकरी तो करते हैं, लेकिन उस काम में उन का कोई अकीदा नहीं है। उस पर उन को भरोसा नहीं है। लेकिन ऐसे कुछ मुचलिस लोग हैं कि जो वाकई इस में अकीदा रखते हैं। इस काम को ऐसे ही लोगों के मुपुर्व करना चाहिए अगर हम उन की हालत में कोई सुवार लाना चाहते हैं तो । बदकिस्मती तो यह है कि हमारे हरिजन भाई कहते हैं कि हमारे कालेज ग्रलग होने चाहिए, हमारे होस्टल ग्रलग होने चाहिए । एक और बात में कभी कभी सोचता हूं। हमारे लायक हरिजन दोस्त बब तो हरिजन लफ्ज को भी पसंद नहीं करते । वह कहते हैं कि हमें शेड्युल्ड कास्ट कहो। गांधी जी ने यह क्या नया लफ्ज घड़ लिया था। मैं इस बात का कायल हं कि डा० ग्रम्बेदकर बड़े ग्रालिम फाजिल थे । उन्होंने हरिजनों की बहुत खिदमत की । लेकिन गांधी जी ने भी कम खिदमत नहीं की शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों की । उन्होंने उन को बहुत माला सतह पर ला कर खड़ा कर दिया । मुझे मालुम नहीं कि कितने लोगों के यहां खाना बनाने वाले हरिजन हैं । मैं सेवाग्राम गया ग्रौर वहां मैंने देखा कि खाना पकाने वाली लड्कियां हरिजन हैं, खाना परोसने वाले, देने वाले भी हरिजन । यह है प्रेक्टिकल हरिजन मुधार । मालुम नहीं हमारे कितने मिनिस्टरों के यहां हरिजन नौकर हैं या दूसरी जाति के लोग हैं, हमारा सेकुल-रिज्म तो हमारी चमड़ी के बहुत नीचे नहीं गया है, हरिजनों की बात तो दूर रही । अभी इस हाउस में बात चल रही थी कि शादियां होनी चाहिए इंटरकास्ट। इस से बड़े मसले हल हो जायेंगे । मुझे यह सून कर खुशी हुई, लेकिन मैं आप को बताता हूं कि यह दिल्ली बड़ा तरकीयाफता शहर है, बड़ा कास्मोपोलिटन शहर है । यहां ग्रीरंगा-बाद की एक मुसलमान लड़की ने एक हिन्दू से शादी कर ली । कहने को उसका शौहर बड़ा अप्रसर है लेकिन 14 साल हो गये श्रीर उसे 12 मकान बदलने पड़े हैं। हर जगह यह कहा गया कि यह तो मुसलमान है। उस ने कहा कि मैं तो हिन्दू हूं तो जवाब मिला कि तुम्हारा बाप तो मुसलमान था। इस लिये उन को मकान नहीं

मिलता था हिन्दू बस्तियों में। हमारे स्रोम् मेहता जी उस बक्त मिनिस्टर थे। मैं ने कहा कि यह क्या होता है। हम कांग्रेस के लोग कैसे कहें लौगों के सामने कि भाई सबके लिए बराबर हक है। ग्राप इनको मकान क्यों नहीं देते हैं । मद्रास में तो इनाम मिलता है। उन्होंने कहा बात तो ऐसी ही है। इसके बाद मैंने भोला पासवान शास्त्री से कहा कि ग्राप तो शैडुल्ड कास्ट्स के ग्रादमी हैं, मैं चाहता हूं कि यह शादी जो हुई है इस पर इनको मकान मिलना चाहिए । वरना मैं इनको इंदिरा जी के पास ले जाऊंग और कहंगा कि यह लीडर झुठ बोलते हैं। जब कोई लीडर कहता है कि सेक्युलरिज्म आ गया है तो मैं कहना चाहता हूं कि वह झुठ बोल रहा है । जब भोला पासवान शास्त्री जी ने उनका नाम 25 नम्बर ऊपर कर दिया तब उनको मकान मिला। मैं यह भी कहता हूं कि हमारे यहां ऐसे भी लोग हैं । यह लोग जो सेक्यूलरिज्म का प्रचार करते हैं यह कुछ नहीं है। इसके माने लोगों को कम समझ में आते हैं। अगर म देखुंगा किसी ब्राह्मण के घर में हरिजन खाना पकाने वाला हो, किसी सैयद सादात के घर में हरिजन खाना पकाने वाला हो तो हम कहेंगे कि सेक्युलरिज्म यह है। मेरे पास एक दरख्वास्त आई है। हम कहते हैं कि हरिजनों को कुछ मिल गया, मुसलमानों को कुछ मिल गया । मैं पुछना नहीं चाहता कि कितने मसल-मान पुलिस में हैं, कितने किस डिपार्टमेंट में हैं। हमारे चीफ़ मिनिस्टर के वतन पैठन में एक जलसा हमा। वहां कुछ लोग आये। वह भटके समाज के लोग, खाना-बदोश लोग बाबादी के लिहाज से सिर्फ महाराष्ट्र में 15 से 20 लाख वे लोग हैं। हजारों साल गजर गये, ग्राज तक उनको कोई मकान, कोई जमीन नहीं मिली । आप तो जमीन की बात करते हैं, हमने उनसे पूछा क्या तुमको मकान कभी नहीं मिला ? उन्होंने जवाब दिया हमें जमीन से क्या ताल्लुक। जहां गांव में काम मिलता है बहां हम रहते हैं और काम खत्म हो जाता है तो दूसरे गांव में चले जाते हैं। हमारे भैंडुल्ड कास्ट् और दूसरे भाइयों को बहुत हकक मिले हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हजारों बरसों से हमको कोई मकान नसीब नहीं हुआ । जब उनका लीडर भौंसले बोलने के लिए खड़ा हुआ तो हमारे मिनिस्टर साहब भी उसकी तरदीद नहीं कर सके, क्योंकि सच्ची बात की कोई तरदीर नहीं कर सकता, कि उनको कोई मकान नहीं मिले हमारे मुल्क में।

करोड़ों की आबादी है खानाबदोशों की, उनका कोई हिसाब है ? उनका कहीं नाम नहीं है गैडुल में, मगर वह मौजूद हैं, उनका वजुद है। 15 लाख आदमी महाराष्ट्र में फिर रहे हैं, गांव-गांव में, उनका कोई घर नहीं, कोई खेत नहीं, कोई मकान नहीं है। हमने हरिजन झौर झैंडुल्ड कास्ट के लोगों को मकान दिलाये, घर दिलाये, गांयें दिलाई, बकरियां दिलाई, झोंपड़ी दिलाई, यह ग्रपनी जगह पर है । लेकिन 15 लाख खानाबदोशों को मकान नहीं है, जमीन नहीं है उनकी जिन्दगी ऐसी है । बदकिस्मती देखिये, उनके भी कई कबीले हैं, कई जातें हैं । मैंने उनसे पूछा कि ग्रापके यहां ग्रापस में शादियां होती हैं तो उन्होंने कहा मादियां नहीं होती हैं । यह जाति-भेद वहां तक भी पहुंचा है। तो यह मसला बहुत ही पेचीदा है । यह शैंडुल्ड कास्ट के मसले से भी बढकर बात है। अब तो गोया मैं खानाबदोशों का लीडर हं।

उप-सभाध्यक्ष (श्री रणवीर सिंह) : 20 नुक्ता प्रोग्राम में उनको मकान दिलाइये खपने राज्य में ।

श्री सिकन्दर झली वज्द : जिनके घर नहीं हैं, जिनकी इज्जत नहीं है, मैं उनका लीडर हं । उनकी यह जो दरख्वास्त झाई है यह फैक्ट्स झौर फिगर्स के साथ है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह हाउस इस मामले में मेरा साथ देगा ।

मैंने गांव-गांव देखा है। जब से मैंने यह देखा है कि 20 लाख ग्रादमियों के पास घर नहीं है, खेत नहीं हैं, झोपडी नहीं, है, कोई सहारा नहीं है तब से मेरा दिल बैठ गया। मैं बहुत शक्रगजार हं कि सरकार ग्रेड्युल्ड कास्ट्स के लिये बिल लाई है पर मैंने देखा है इन खानाबदोशों की मदद करने के लिये कानन में कहीं जिक नहीं हैं, कंस्टीटयशन में भी नहीं है, ग्रापके इस बिल में भी कहीं नहीं है।

उप-सभाध्यक्ष (श्री रणवीर सिंह) : यह सब 20 नुक्ते प्रोग्राम में है।

श्री सिकन्दर ग्रली वज्द : ग्राप भी ऐसे इलाके से आते हैं जहां गांव के लोग रहते हैं । आप में भी ताकत है, जोश है, लोगों की खिदमत करने का जज्बा है । खुद हमारे ग्रोम् मेहता जी हैं, उनसे ग्रौर सभी दोस्तों से अपील करूंगा कि इन लोगों के लिये जिनके पास कुछ नहीं है. जिन्दगी में कोई सहारा नहीं है, रहने के लिये मकान नहीं है, उनकी मदद करें। शकिया।]

[3 SEP. 1976] Amdt. and Misc. Provision 110 Bill, 1976

भी कल्प नाथ राय (उत्तर प्रदेश) : उपसभाष्यक्ष जी, सरकार के द्वारा अस्पृश्यता निवारण का जो कानन झाया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। केवल कानून से किसी समस्या का निराकरण नहीं होता। पार्लियामेंट ने कानन बनाया कि दहेज प्रया खत्म होगी, दहेज लेने वाले दंहित होंगे लेकिन दहेज प्रया दिन दुनी रात चौगनी बढ़ रही है। पालियामेंट ने कानन बनाया कि बाल विवाह खत्म होगा लेकिन फिर भी करोड़ों की संख्या में बाल विवाह हो रहे हैं। जब कोई चींज जनता के दिलों में बस जाती है तो पालियामेंट उस पर मोहर लगा देती है, सही मानों में वह उसका एक ग्रमली रूप होता है। मैं इस सदन के माध्यम से सर्वप्रथम देश की 60 करोड जनता की तरफ से इस देश की महान नेता श्रीमती इंदिरा गांधी जी का अभिवादन करना चाहता हूं जिन्होंने 20 सूत्री कार्यक्रमों के माध्यम से कर्जे की समाप्ति, हरिजन-गिरिजन में जमीन का बटबारा एवं हरिजनों को सामाजिक जीवन में प्राथमिकता देने का एक गंखनाद फुंका है। हमारे देश की नेता प्रधान मंत्री ऐसी खुशकिस्मत हैं कि जिन्होंने छन्नाछत के बंधन को खद तोडा ग्रीर ग्रपने परिवार से तोड़ाया और ऐसा करने के लिये 60 करोड़ जनता का आवाह,न किया।

उपसभाष्यक्ष जी, जब तक इस देश में सीता ग्रौर शम्बुक का अपमान होता रहा तब तक हिन्द्रस्तान विदेशी हमलावरों के सामने पराजित होता रहा। जब इस मुल्क का नेतृत्व सीता के हाथ ग्राया ग्रौर इसकी रक्षा का भार शम्बक के हाथ ग्राया तब इस मल्क के सेनानियों ने विदेशी हमलावरों को जबदंस्त पराजय दी।

उपसभाध्यक्ष जी, अस्पुश्यता जातिवाद के पेट से पैदा हुई । इसलिए गुनार जारिंग ने लिखा है :

"The countries of the world are either vertically divided or horizontally divided but India is the only country which is vertically as well as horizontally divided."

दुनिया के सभी राष्ट्रों में या तो ग्रायिक समस्या है या सामाजिक समस्या है। हिन्दुस्तान ही एक ऐसा देश है जहां सामाजिक उत्पीडन है, आर्थिक उत्पीडन है। पुंजीवाद के पेट से आर्थिक उत्पीड़न

[श्री सिकन्दर ग्रली बज्द]

पैदा हई स्रोर बाह्यणवाद के पेट से स्रोर जातिवाद के पेट से ग्रस्पम्यता पैदा हई । जातियाद के कारण ही हिन्दूस्तान के लोग हजारों वर्षों तक गुलाम रहे। इन जातिवाद ग्रौर बाह्यणवाद ने देश की जनता के मन को तोड़ा है और पुंजीवाद ने देशा की जनता के धन को तोड़ा है। बाह्यणवाद और जातिवाद ने इस देश के करोड़ों इंसानों के मन को तोडा है। अंग्रेजी भाषा के प्रचार से इन देश के करोड़ों लोगों को गुलामी की जंजीरों में जकडे रहना पडा। जब तक देश से जातिप्रया को नहीं तोडा जाएगा तब तक इस देश का उत्थान नहीं हो सकता है। इस जाति प्रया को तोड़ने के लिए कवीर से लेकर गुरु नानक, स्वामी दयानन्द सरस्वती और महात्मा गांधी ने अपने जीवन भर प्रयास किया ग्रीर उसी परम्परा के ग्रनुसार पंडित जवाहर लाल नेहरू ने ग्रौर ग्रब श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने प्रयास किया है। जब तक इस देश से जातिबाद का ग्रंत नहीं होगा तब तक हम ऊपर नहीं उठ सकते हैं । इस देश की दौलत आज किन लोगों के हाथों में है, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। इस देश की दौलत का हिस्सेदार धनटचैवल नहीं माना जाता है। यद्यपि उनको नौकरियों में स्थान दिया गया है लेकिन नौकरियों में उनका हिस्सा बहुत थोड़ा है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हिन्दुस्तान के हरिजनों को देश की दौलत में हिस्सेंदार बनाना होगा, जमीन में हिस्सेदार बनाना होगा। इमलिए याज जरूरत इस बात की है कि आतिवाद पर चतुर्दिक रूप से हमला किया जाय। जब तक जातिवाद नहीं ट्टेगा तब तक इस देश से अस्पृश्यता का निवारण नहीं हो सकता है। इस मल्क के अन्दर कई वर्षों से हरिजन ब्राह्मण बनने की कोशिश कर रहा है। म्राज हमारे देश में वणिष्टी बाह्यणवाद कट्टरतापूर्वक हमारी संस्कृति के ऊपर बैठ गया है। इसलिए ग्राज ग्रावश्यकता इस बात की है कि इस जातिवाद को समूल नष्ट किया जाय। पूजहं बिप्र सकल गुराग्राही इस प्रकार की जो बातें हैं उनको बदलना होगा, साहित्य को बदलना होगा। श्राप जानते हैं कि इस जातिवाद के कारण ही इस मुल्क में करोड़ों लोगों को मुसलमान होना पडा ग्रौर जातिवाद के कारण ही करोडों लोगों को ईसाई होना पडा। Water always percolates from above.

पानी ऊपर से आता है। बाह्यणवाद के कारण ही

Amdt. and Misc. Provision 112 Bill, 1976

इस देश में हरिजनों पर अत्याचार हुए। एक हरिजन गांव के कुंए पर पानी नहीं पी सकता है। यही नहीं हरिजनों में बहत-सी उप-जातियां है। जहां तक मैं जानता हं, हरिजनों में 47 जातियां है। ऐसी हालत में आज जरूरत इस बात की है कि जाति प्रथा पर चतुर्दिक रूप से हमला किया जाय। मुझे इस बात की खुणी है कि इस देश की महान नेता श्रीमती इंदिरा गांधी न केवल इस मुल्क से जानि प्रथा को समूल नष्ट करने के लिए कूत-संकल्प हैं बल्कि वे एणिया ग्रीर ग्रफीका से उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद ग्रौर रंगभेद को भी समाप्त करने का प्रयाम कर रही हैं। ग्रल्जीयर में जो नान-एलाइन्ड कंटीज की कांफ्रेंस हई थी उसमें उन्होंने यह मांग की थी कि दुनिया से रंगभेद की नीति समाप्त होनी चाहिए। हिन्दुस्तान के अन्दर भी उन्होंने जातिप्रथा को तोड़ने का एलान किया है। मैं समझता हूं कि जब तक हम इस देभ से जातिप्रथा को समाप्त नहीं करेंगे तब तक हम दुनिया से रंगभेद को नीति को समाप्त नहीं कर सकते हैं। इस देश की महान नेता श्रीमती इंदिरा गांधी जी इस देश के 60 करोड़ लोगों को ग्रावाहन किया है कि इस देश से जातिप्रधा का अन्त किया जाय। इस जाति प्रथा ने हमें सदियों तक गुलामी की जंजीरों में जकडे रखा। इसलिए जब तक हम इस जाति प्रथा को समाप्त नहीं करेंगे तब तक हम एक शक्तिशाली राष्ट्र नहीं बन सकते हैं।

आदरएएीय उप-सभाष्यक्ष महोदय, आज हिन्दुस्तान के अन्दर सात लाख गांवों में हरिजनों के लिए प्रलग चमराट बने हुए हैं। जब तक इन गांवों के यन्दर चमराटों को समाप्त करके हरिजनों को गांव वालों के साथ नहीं बसाया आएगा तब तक इस देश से जाति प्रथा का अन्त नहीं हो सकता है। आज हम स्वयं हरिजनों के लिए हरिजन कालोनियां और हरिजन छात्रों के लिए हरिजन छात्रावास बनाते हैं। जब तक प्राप इस भेदभाव को समाप्त नहीं करेंगे तब तक प्राप इस भेदभाव को समाप्त नहीं हो सकता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए हमें हरिजनों को नौकरियों में हिस्सेदार बनाना होगा, व्यापार में हिस्सेदार बनाना होगा। अब मुझे आपसे अग्तिम बात निवेदन करनी है और मैं आपका ध्यान दुनिया के रंग मंच की ओर ले जाना चाहता हं।

आप गांव की स्थिति का अध्ययन कीजिये। आज गांव की क्या हालत है? एक गांव के अन्दर ब्राह्मण है। ब्राह्मण अपर गांव के वीच में है तो उसके धगल-बगल धहीर, कुरमी, काछी, चमार बसते हैं। हर गांव के दक्षिण में एक चमरावट बनती है। स्राज दुनिया की बिरादरी में यरोप, अप्रमरीका और जो उधर के रहने वाले लोग हैं वे दुनिया के बाह्यण हैं, जो 28 हजार प्रति व्यक्ति आमदनी रखते हैं- ग्ररब मुल्क---वे दुनिया के आह्यण हैं और दुनिया के कूबैत, चीन, जापान, आज बहीर कुरमी और काछी हैं और हिन्दुस्तान, पाकिस्तान और अफीका की वही स्थिति है जो गांव के दक्षिण में बसने वाले हरिजनों की है, उधार बस्त, उधार कारखाने ग्रौर उधार धन पर अपना जीवन चला रहे हैं। ये विकसित यह चाहते हैं कि हम दुनिया के ब्राह्मण बने रहे। तो हमें हिन्दुस्तान में जाति प्रथा को खत्म करना होगा और समुचे देश को श्रीमती इन्दिरा गांधी के सपनों का हिन्दुस्तान बनाना होगा। इन शब्दों के साथ में इसका समर्थन करता हं ग्रीर ग्रापको धन्यवाद देता हं ।

डा॰ चन्द्रमणि लाल चौधरी (बिहार) : उप-सभाध्यक्ष महोदय, इस पर काफी बहस मुबाहिसा हो चुका है। मैं इस बिल की तहे दिल से ताईद करता हूं झौर डिप्टी मिनिस्टर साहब झौर झोम मेहता जी को मुबारकवाद देता हूं। यह उनके ही दिमाग की उपज थी जो कि इसके ढारा हरिजनों के साथ न्याय किया जा रहा है।

हरिजनों की समस्या पर कांग्रेस ने हमेशा जोर दिया है। बहुत से दोस्तों ने कहा है कि हरिजनों को बहुत ज्यादा दिया गया है। यह उनका अपना ख्याल हो सकता है मैं इस बात को नहीं मानता हूं कि उनके अन्दर आपसी मतभेद है। मैं बिहार के बारे में निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उनके बीच आपस में कोई मतभेद नहीं है। यू०पी० के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि वहां क्या हालात हैं। जब यू०पी० के इलैक्शन में मैं बहां गया था तो मैंने वहां यह इस किस्म की चीज नहीं

Amdt. andMisc. Provision 114 Bill, 1976

देखी। काफी सुधार हो चुकाथा पंडित जवाहर लाल नेहरू झौर महात्मा गांधी जी की बातों से और कार्यों से। जो कुछ यहां पर कहा गया वह बहुत पुराने जमाने या वैक्षिक काल में यह होगा। ये दकियानूसी वातें हैं मैं इन पर नहीं जाना चाहता हं।

ग्रभी एक मैडम ने कहा जब वे भाषण दे रही थीं कि हरिजनों के साथ वेद मंत्रों या गायतीमंत्र——

ग्रों भूर्भवः स्वः तत् सुवितुर वरेण्यम भर्गोदेवस्य धीमही घियो प्रचोदयात का उच्चारण नहीं कर सकते ।

यह बिल्कुल गलत बात थी। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने ग्राज से बहुत दिन पहले, जब यहां हिन्दू संस्कृति में बहुत मतभेद हो गया था तो स्वामी जी ने जनता के वीच जागरण पैदा किया जिससे कि सब लोग उसे पढ़ सकते थे।

"ग्रीरतों की कोई जाति नहीं होती है। यदि वे वेद मंत्र सून ले तो कान में सीसा पिघलाया जाता था, हरिजनों को नहीं पिघलाया जाता था।" में सून रहा था उस वक्त बडे गौर से उनका भाषण। किसी को भी इतना जजबाती नहीं रहना चाहिए जिससे कि मुल्क के दूसरे सेक्टर के लोगों को तकलीफ न पहुंचे। 20-सूत्री कार्यक्रम को अपनाते यक्त इसको रखा गया। पहले यह लागू नहीं होता था। बड़े बड़े बलिष्ठ नेता लोग थे, लाल बहादर शास्त्री जी थे, हमारे रेस्पेक्टेड गोविन्द वल्लभ पंत भी थे रफी साहब भी थे ग्रीर मौलाना आजाद भी थे। लेकिन यह लागू नहीं होता। ग्रब बड़ी हिम्मत के साथ, दिलेरी के साथ हमारी मोहतरमा प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने बीस-सूत्रो कार्यक्रम रखा है जिसके जरिए हिन्दूस्तान के अन्दर न कोई गरीब होगा न कोई ग्रमीर होगा, समाज को एक लेबल में ग्राना होगा। मैं कोई बहत ज्यादा चर्चा में जाना नहीं चाहता हं लेकिन इस मुल्क की तवारीख है....

उप-सभाष्यक (श्री रणवीर सिंह) : बौधरी साहब, ग्रापने 2 मिनट चाहा था, मब 5 मिनट हो गए हैं।

डा० चन्द्रमणि लाल थौधरीः मैं ख़त्म करता हूं। तो मुल्क की तवारीख है जहां गांधी जी जैसी

115 *Untouchability (offences)* [RAJYASABHA] Amdt. and Misc. Provision 116 Bill, 1976

[डा॰ चन्द्रमणि लाल चौधरी] Sir, this is a very significant Bill. This was हस्ती पैदा हुई, हड्डियों का दान करने को उन्होंने before the Lok Sabha for the last two years. Unfortunately, for one reason or the other, it कहा। हम मानते हैं हिन्दुस्तान एक गरीब मुल्क could not be passed. It is good that it is being है, उसमें लोग गरीबी में जकड़े हुए हैं, कोई तो passed today and it j is a very significant पढ़े लिख न होने की वजह से और कोई समाज achievement so fai as eradication of nntouchability is concerned which, Sir, is a के अन्दर शोषण की वजह से। आपको पता है malady of our times. Sir, the word हिन्दुस्तान के अन्दर दकियानुसी वक्त में सती की "untouchability" has been removed from our प्रया थी, प्रौरतों को शौहर मरने के बाद जिदा Constitution and this word is not there now. But untouchability is still practised in some parts of जला दिया जाता था। इस प्रथा को रोका गया the country and it is a matter of shame for this और हमारे बड़े बुजुगों ने रोका। पहले औरते country and for the people of this country who बाहर नहीं निकलती थी। ये जो औरते यहां still practise it and I think it is high time that we बैठी हैं उनके ऊपर बुकी होता, ये पालियामेंट practised untouchability and to meet this need, में नहीं आ पाती लेकिन यह जवाहरलाल नेहरू Sir, we have brought forward this Bill.

की तारीफ थी (Interruptions) ग्रव तो

cularly

it was a very good speech, I must say— and then to Mr. Vaishampayen, Mr. Kum-bhare—I think. Sir, Mr. Kumbhare has not spoken . .

opportunity to speak.

amendment and so, I thought that he must suspected, should be treated as special report have spoken. I am grateful lo Mr. Kalp Nath cases and entrusted to selected Rai, Rani Sahiban, Mr. Makhwana and many others. I am really thankful to all of them.

Even before this Act came into being, we महिलाएं खुल कर बाहर बा रही हैं ब्रौर यह युग were not obvious of this fact. Our beloved Prime महिलाओं का है। आज हरिजन भी उतने देवे Minister wrote to the Chief Ministers of all the हुए नहीं हैं जितना पहले दबे हुए थे। म्राज हरिजनों States to set up special cells under their personal के उसर ज्यादती होती है तो वे उसका मुकाबला Scheduled Castes and Scheduled Tribe people करते हैं। यह बड़ी ताकतवर लीडरणिप है हमारी and other minorities. Such cells have been set up मोहतरमा इंदिरा गांधी की। जिनको यकीन नहीं in a number of States. Not only this, Sir. The है वे जरा 20-मूली कार्यक्रम को देखें । में उम्मीद Home Ministry has been issuing instructions from time to time to the States to look into the avant ह, हमारे दोस्तों ने जो गवनमेंट पर चार्ज grievances of these downtrodden people, these लगाया है वह मा-हसल नहीं होगा। जय हिन्द। exploited people, and we have issued

SHRI OM MEHTA : Sir, I am grateful to the honourable Members for the unanimous support that they have given to this Bill and I am grateful parti-of whether such incidents have arisen due to to Shri Prakash Veer Shastri, any caste consideration or not and send it to the

-Unfortunately, I was not present here. But State and Central Governments since

Sir, we have said that investigation of all offences involving Harijans, where any caste SHRI N. H. KUMBHARE : I had no considerations are suspected, should be promptly, efficiently and adequately supervised.

Investigation of serious offences involving the SHRI OM MEHTA : Sir. he has given an Harijans. where caste considerations are investigation officers. A suggestion made that such investigation should be conducted by an officer not below the rank of Deputy Superintendent of Police or Inspector of Police, was adopted wherever possible. Any failure to undertake prompt and efficient investigation or to exercise adequate supervision should be regarded as grave dereliction of duty on the part of the officers concerned.

Sir, it can now be confidently said that a new orientation has been imported into the official aproach—A steady improvement has also been made in regard to the administrative response to the needs of the situation.

Sir, my friend, Mr. Vaishampayen has quoted some figures also to show that in Gujarat and Maharashtra the number of atrocities is increasing. He gave figures for 1972, 1973, 1974, 1975. Sir, there is no doubt that previously whenever atrocities were committed they were not being reported. The Harijans were thinking that there would be retaliation from the higher castes and they were reluctant to report these atrocities to the thana or to the Government. Now, as the consciousness is growing, education is growing more and more such incidents are being reported. Sir, as politically, also they are becoming more and more conscious of their rights and privileges they are bringing more and more such incidents to the notice of the authorities.

Some points have been raised here that against these offcers who are negligent *or* who do not register the cases whenever these poor people go to the police station, action should be taken. The present Bill is only to meet that situation. Where we find that thaere is a wilful negligence on the part of any offcer to take any action against those who commit atrocities or to write the reports, action would be taken against that officer also.

Sir, not only that. We have said that in the case of those officers who do not go to the rescue of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, the offence will be a cognizable offence and there also action will be taken against him.

Amdt. and Misc. Provision 118 Bill. 1976

Shri Makwana raised a point about the services. Sir, as 1 said in the other House, in this Bill we could not bring a provision for the services. But the Government is trying that whatever quota is fixed, it should be filled completely. Sir, I have been saying repeatedly in this House that full quota of Scheduled Castes and Scheduled Tribes has been filled in the all-India services, that is, I.A.S., I.P.S., T.F.S., in the past.

Wherever their representation is less, not only in Class IV services, but in Class I, Class II and Class III services also, in recent years we have tried to see to it that their number is increased. I should say that the number of Scheduled Castes officers is 35,061 in Class I, 54,129 in Class II, 16.32.397 in Class III and 12.38.818 in Class IV. In recent years, we have taken certain more steps. Reservation in promotion quota now applies to all the grades and classes where the element of direct recruitment does not exist. ft is 66.33 per cent. Earlier this limit was 50 per cent. From 1974, recruitment to posts filled by selection has been extended to promotions from Class III to Class II, within Class II and from Class II to the lowest rung of Class I. Before 1974, such reservations were confined to Class III and Class IV posts. Carryforward provisions have been liberalised in favour of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes with effect from June 1975. Scientific and technical posts for research up to the lowest grade of Class I | have been brought within the purview of reservation orders. Earlier. no reservation existed for such posts. The U.P.S.C. and other competent authorities have been authorised to lessen qualifications relating to experience if otherwise suitably qualified Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates are available. The position has also improved in the public sector undertakings where the representation of Scheduled Castes has risen by 26.5 per cent in Class IV and 14 per cent in Class III. In the case of Scheduled Tribes the representation has risen to 12 per cent and 6 per cent respectively.

Sir, a High-Power Committee under the chairmanship of the Prime Minister meets regularly to review the progress relating to

[Shri Om Mehta] matters concerning who never had any house-sites up to this time Scheduled Castes ant! Scheduled Tribes including their representation in services. Instructions have also beer issued that reservation orders will apply tc staff recruited by voluntary agencies which receive substantial grants-in-aid from the Government under certain conditions. We have seen to it that whatever orders are being issued by the Government of India, Department of Personnel, are implemented It is not only the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes who keeps an eye on this. Also, a High-Power Committee of both the Houses of Parliament, which is there, looks to it whether the orders issued by us are implemented or not. The report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and also the report of the High-Power Committee of both the Houses of registration Parliament arc placed on the Table of the House.

A point has been raised here by Mr. Wajd. He said that lakhs and lakhs of Harijans and other backward class people are still houseless.

about nomads.

SHRI OM MEHTA : Nomads are those who have got no lands and no houses. When 1 talk of houseless people, that means nomads also. It does not mean that we are excluding them. We are proud of what we have done during the last two or three years under the leadership of our hon. Prime Minister. There are lakhs and lakhs of houseless people. (Interruptions). No, I am not yielding. He has said whatever he wanted to say. Sir, apart| student do not come there. When we talk of from whatever Mr. Wajd has said, I have high regards for his ability, for his experience, for his poetri and also other things.

I think. Sir, he has seen the figures of what has been achieved after the launching of the 20 point programme. The first priority which we are giving in this is to giving houses to the houseless. That is agricultural labour and those who are without houses. Sir, up to this time, 70 lakh people have been provided with house sites. Not only that. We are seeing to it that actually their possession is given to those people

Amdt. and Misc. Provision 120 Bill 1976

and they should be able to build the houses there. When we talk of houses, I must say, in Delhi, when I was in the Housing Ministry, it was for the first time that we made a reservation of 20 per cent for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in all the flats which were being built by the DDA. We started separate reservations for the Harijans. Previously, a common list was being kept and, unfortunately, from the Janata houses and other houses, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes were not getting any houses. So, we made it a special thing that 20 per cent of the houses built by the DDA would be reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and they would get priority in that. Not only that, Sir, the money which was to be paid by them as first instalment or as fee was also reduced considerably. And there is no discrimination. For persons who are without houses, whatever possible is being done to give them houses so that they can also live a happy and contented life

Sir, some other points have been made by SHRI SIKANDER ALI WAJD : I said the hon. Members. Shaslriji made a point that there are separate schools for the Harijans. Sir. I should inform Shastriji that there are no separate schools. We allow other boys also to come to the Ashram school and schools which are opend for Harijans. But generally what happens is this. Mostly the schools which are opened for Harijans are in areas where their population is predominent. And as Mr. Makwana says in many of the schools, they have got 10 per cent reservation but many untouch-ability, we do not want that. But still we should take certain steps by which this untouchability is not perpetuated. In schools and other places, we want that Harijan boys should be allowed to sit with other boys so that from he very beginnig this idea that they are untouchables is not there in their minds.

> SHRI ABU ABRAHAM : What about the reservation of 20 per cent? You were saying that 20 per cent of the housing is reserved for Harijans. Could you please tell

us whether these houses will be separated for Harijans or will they be mixed houses ?

SHRI OM MEHTA : They will be mixed houses. This is only reservation. But it is not that we will fix certain blocks only for Harijans where the Harijans live. They will live with other communities in any colonics and wherever the houses are there.

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAN-BIR SINGH) : The question is :

"That the Bill to amend the Untouchabiiity (Offences) Act, 1955 and furthei to amend the Representation of the ' People Act. 1951, as passed by the Lok ' Sabha, be taken into consideration."

THE VICE-CHAIRMAN (SHRT RAN-BIR SINGH) : We shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 16 were added to the Bill.

Clause 17—Substitution of section 15.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAN-BIR SINGH) : There is one amendment by Shri Kumbha re.

SHRI N. H. KUMBHARE : Sir, I did not have any opportunity to speak on the Bill. I am in entire agreement with the hon. Minister when he says that it is a really radical measure. The Bill is, no doubt. comprehensive and it is also more purpose-full: I say the scope of the Bill is also enlarged.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RANBIR SINGH) : Are you moving the amendment?

SHRI N. H. KUMBHARE : I am just coming to the amendment. 1 am just making the opening remarks.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RANBIR SINGH) : May 1 know whether you are moving the amendment?

Would you like to speak on the clause?

SHRI N. H. KUMBHARE : Sir, 1 move :

[3 SEP. 1976] Amdt. ami Misc. Provision 122 Bill. 1976

"That at page 8, after line 7, the following be inserted namely :

"A survey of the district will be conducted by Assistant Director of Civil Rights for locating the area of social disability in such manner as prescribed and shall submit a report a.s to the nature of untouchabflity being practiced and the extent of social disability to which the Scheduled Caste people are subjected.

Explanations: 'Area of social disability is a place or places where members of Scheduled Castes, on account of their subjection could not exercise their right, accrued to them, by reason of the abolition of untotichability under Article 17 of the Constitution.

(1) On receipt of the report from the Assistant Director and after making an enquiry as may deem appropriate and on being satisfied as to the situation existing at the place, the Director of Civil Rights will make a declaration specifying the area of social disability and other particulars as may be prescribed.

(2) The area of social disability having been so declared the Assistant Director shall proceed to take such steps and in such manner as may be prescribed to deal with the situation, and shall endeavour to persuade the dominant class through conciliation and seek to create condition so that the members of the Scheduled Castes do not suffer from any social disability provided the said area will be kept under observation for such period as may deem necessary. Provided further the period of observation will not be for a period exceeding six months.

(3) The Assistant Director of Civil Rights after having succeeded in his efforts in creating favourable conditions submit a report to the Director who will make a declaration accordingly, *in* the manner as may be prescribed.

L

(4) The Assistant Director of Civil Rights having satisfied that he has failed in his efforts to create favourable conditions to facilitate enforcement of rights by members of the Scheduled Castes, submit a failure report to the Director of Civil Rights. This report shall contain the particulars as may be prescribed including the names of the persons who are likely to commit or attempt to commit or abets the commission of an offence.

(5) (A) The Sub-Divisional Magistrate having jurisdiction and specially empowered by the State Government in this behalf, will be given information of the persons referred to in the failure report by the Assistant Director of Civil Rights and the S.D.M. may require such persons to show cause why they should not be ordered to execute bond with surety for their good behaviour for such period not exceeding 3 years as the Magistrate may direct.

(B) The Provision of the Code of Criminal Procedure, 1973, shall in so far as they are applicable apply to any proceedings under sub-section (1) as if the bond referred to therein were a bond required to be executed under section 110 of the said Code'." The question was proposed. SHRI N. H. KUMBHARE : Sir, formerly only practice of untouchability was forbidden but now not only practice but preaching of untouchability is also forbidden. If anybody preaches or practises now he will be dealt with and will come under the clutches of the Law. Therefore, I say that the scope of the Bill has been enlarged. It has been made more deterrent because these offences have now been made cognizable. It is also nonbailable. If anybody is found guilty the magistrate has no discretion except to send him to jail be-cause the minimum jail sentence is one month.

Sir, I would be failing in my duty if I do not say a word about the good work of the Joint Select Committee which was presided over by Mr. S. M. Siddiah. Mr. Mirdha was the Minister in charge of the Bill. But for their-cooperation it would not have been possible to give such a good shape to it. 1 may however point out that it could have been made more comprehensive we could have incorporated a scheme by which we could locate the areas of untouchability and deal with those areas. It is essentially a matter which comes within the purview of the Central Government and we desire that the Central Government should set up a machinery to enforce these provisions. As has been pointed out by my friends, laws are there. But laws become dead letters if we do not set up an administrative machinery to enforce those laws and therefore we want them to take the entire responsibility in this behalf and Government should set up a machinery to enforce these provisions. Unfortunately that suggestion has not been accepted and the entire respon-sibility has been transferred to the State Governments. Of course, under the Act itself the Cen'ral Government will make the rules whereby a duty will be cast on the State Governments to set up a machinery. I have stated that Government must make the entire provisions more explicit and, therefore, in regard to my amendment, I only want to cite an example. Even today if you go to a village there will be a well. If that well is located in a high caste locality, the Scheduled Caste people will not be allowed to fetch water from that well. So, according to me, it is an area of disability.- Such areas have to be identified and located. Let the Government play a more positive role. I have suggested that an officer should be appointed under the Act. A duty will be cast on the officer to have a survey made to find out how many places are there where the Scheduled Caste people, even though they have got a right given under the Constitution, are denied those rights. The reasons are obvious. They know that they have got a right but they cannot muster courage to assert that right because they are in a minority, because they I have to depend upon them. In such a case j the officer will go and find out himself how the position is. He will make an en-i quiry and if he comes to the conclusion

that even though on the face of it there given an assurance that we are trying to see appears to be no discrimination, the caste Hindus are dominating and practising untouchability and preventing these people from taking water, suitable action should be taken.

So, in that case, under the survey, that area will be identified as an area of social disability. The Government will notify it and then there will be a stage of conciliation. As I said, the officer will go and try to bring about a conciliation and tell those elements that these are the provisions in the Act and that they must allow the scheduled castes otherwise they will have to suffer and go to jail. In that way, I think, people in the village will not be opposed to it. But, if there are certain elements still, the officer will make a note of those bad elements who are opposed to it and then he will make a report to the Director and the Director will file proceedings in the court. The court will then issue summons to them and tell them that they must create conditions whereby the Scheduled Caste people would have full freedom to go and fetch water. That is the scheme which is incorporated and I think it should be acceptable to Government.

Unfortunately, Sir, one of the important recommendations has not been accepted by the Government. It reads like this

"A public servant who shows any negligence in the investigation of any offence punishable under the Act shall be deemed to have abetted the offence punishable under this Act."

I know the reasons and that way I am convinced that if the Government is going in for a separate legislation providing for reservations for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, then such a provision could find a place. So, we would like to know from the hon. Minister whether such a legislation is under contemplation. And if so, when are we going to have it?

SHRI OM MEHTA : Sir, I have already replied to points raised by the hon. Member. Whatever he has said with regard to recruitments and other things, I have already I

Amdt. and Misc. Provision 126 Bill. 1976

whether orders issued by our Ministry are being implemented or not. Still, if he finds that they are not being implemented, we will have to codify these orders and find out how a suitable legislation can be brought in. We can consider it only after taking stock of the whole thing.

Sir, I must tell Mr. Kumbhare that by article 17 of the Constitution, untoucha-bility has been abolished and disability arising out of untouchability has been declared to be an offence. Under article 35(a), sub-section (ii), Parliament has the exclusive legislative competence to provide for punishment for enforcement of the disability arising out of untouchability. The Act in question, fe, therefore, restricted to the above-mentioned constitutional provision.

Sir, in this particular Bill, we also have got some provision for the machinery for the enforcement of this Act. Under that provision, some officers will certainly be appointed who will be going to find out if there are certain places where the Harijans who are very poor or in minority, are not able to take the shelter of the law or are not able to go to those whom they can go for protection. These officers will report about those areas and, as you know, Sir, we have got a provision of collective fines from those villages and that action will be enforced. That provision has also been kept.

Sir, with these words, I oppose this amendment.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAN-8IR SINGH): Mr. Kumbhare. do you want to withdraw the amendment?

SHRI N. H. KUMBHARE: Yes. Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAN-BIR SINGH) : The question is :

"That leave be granted to the Movci to withdraw the amendment."

The motion was adopted.

The amendment was, by leave, withdrawn.

THE VICE-CHAIRMAN 'SHRI RAN-BIR SINGH): The question is:

"That clause 17 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 7 was added to the Bill.

Clauses 18 to 21 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill. SHRI OM MEHTA : Sir. I move:

'That the Bill be passed."

The question was put and the motion was adopted.

STATEMKNT BY MINISTER REGARD-ING BAN ON COW SLAUGHTER

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DE-PARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS AND DE-PARLIAMENTARY PARTMENT OF AFFAIRS (SHRI OM MEHTA): Sir, this morning, I promised that I will make a statement regarding the ban on cow slaughter. Though the subject is dealt with by the Agriculture Ministry, since it is the last day of the Session and since the concerned Minister is not here, I am making the statement on behalf of the Government.

Questions have been raised from time to time in Parliament regarding steps taken by various State Governments in regard to the implementation of the provision contained in article 48 of the Constitution relating, *inter alia* to **ban** on cow slaughter.

The Supreme Court has interpreted the effect of article 48 of the Constitution relating to prohibition of slaughter of cows and its progeny, as follows :—

(a) That a total ban on the slaughter of cows of all ages and calves of cows and calves of she-buffaloes, male and female, is quite reasonable and is in consonance with the Directive Principles as laid down in article 48;

(b) That a total ban on the slaughter of she-buffaloes, or breeding bulls or working bullocks, as long as they are capable of being used as milch or draught cattle, is also' reasonable and valid; and

(c) That a total ban on the slaughter of she-buffaloes, bulls and bullocks, after they cease to be capable of yielding milk or of breeding or working as draught animals cannot be supported as reasonable in the interest of the general public and is invalid.

The subject of preservation, protection and improvement of stock comes under Entry 15 of List II of the Seventh Schedule to the Constitution and as such 'his is a State subject. Although the responsibility is of the States, the Centre has been advising them in the matter.

The present position in respect of restrictions on cow slaughter varies from State to State, lammu & Kashmir, Haryana. Punjab, Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar, Maharashtra (Vidarbha Region), Karnataka, Orissa, Chandigarh, Delhi, Dadra & Nagar Haveli, Pondicherry and Andaman & Nicobar Islands have completely prohibited cow slaughter. In Himachal Pradesh, Tripura and Manipur valley, there is a total ban either by tradition or under executive orders. There are only a few States and Union Territories, where there is either partial ban or no ban.

Information has now been received that States of Maharashtra, Andhra Pradesh, Assam excluding hill districts of North Cachar and Mikir) and Tamil Nadu have decidid to take appropriate measures to provide for ban on the slaughter of cows in terms of the Supreme Court's judgment. The States of Andhra Pradesh, Maharashtra and Assam would be amending the existing legislation whereas State of Tamil Nadu which is presently under President's Rule have issued an executive order prohibiting the slaughter of cows of all ages and calves (male and female) of cows. In Kerala, there is no legislation prohibiting the slaughter of animals. Only panchayat laws provide for prohibition of the slaughter of useful ani-